मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
का
सप्तम् प्रतिवेदन

(जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 2015 को सदन में प्रस्तुत)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	(i)
2.	**प्रस्तावना**	(ii)
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	(iii)
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) नगरीय प्रशासन एवं विकास	1
	(2) राजस्व	8
	(3) गृह(पुलिस)	14
	(4) जल संसाधन	17
	(5) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19
	(6) चिकित्सा शिक्षा	20
	(7) स्कूल शिक्षा	22
	(8) पशुपालन	25
	(9) खनिज साधन	26
	(10) महिला एवं बाल विकास	27
	(11) कृषि	30
	(12) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	31
	(13) वन	32
	(14) आदिम जाति कल्याण	33
	(15) उच्च शिक्षा	34
	(16) लोक निर्माण	36
	(17) सहकारिता	45
	(18) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	49
	(19) सामान्य प्रशासन	51
	(20) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	52
	(21) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	54
	(22) ऊर्जा	55
5.	i. **परिशिष्ट – 1** (विशेष टिप्पणी) ii. **परिशिष्ट – 2** (विभागीय जांच के अनिर्णीत प्रकरण) iii. **परिशिष्ट – 3** (जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र के पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची)	58 59 60

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का सप्तम् प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2015 को गठित की गई थी।

3. इस प्रतिवेदन में जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र में विधान सभा में मा.मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों को सम्मिलित किया गया है। वर्णित सत्र में मा.मंत्रियों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 499 आश्वासन दिये गये थे, 371 आश्वासनों का निराकरण क्रमश: एकादश विधान सभा एवं द्वादश विधान सभा के विभिन्न प्रतिवेदनों में किया जा चुका है, 01 आश्वासन विलोपित किया गया है एवं 01 आश्वासन छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इस प्रकार शेष 126 आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को इस सप्तम् प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति लगभग 14 वर्ष बाद भी नहीं हो पाई है। संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का कई विभागों द्वारा न तो संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है. समिति इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि संसदीय कार्य नियमावली का पालन कड़ाई से किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।

5. इस संबंध में समिति की विशेष टिप्पणी (परिशिष्ट – ''एक'') पर प्रदेश के मुख्य सचिव व संसदीय कार्य विभाग उचित कार्यवाही करें, यह समिति की अपेक्षा है। इस सत्र के शेष आश्वासनों पर पूर्व में प्रतिवेदन दिए जा चुके हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट –''तीन'' पर संलग्न है।

6. समिति की बैठक दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

6. समिति विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों तथा जिन्होंने समिति के कार्यो में सहयोग प्रदान किया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती है।

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक:- 01 दिसम्बर, 2015.

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	नगरीय प्रशासन एवं विकास	01, 04, 07, 08, 10, 13, 18, 23, 25, 30, 41, 45, 48
2.	राजस्व	59, 61, 64, 69, 71, 72, 75, 76, 80, 81, 82, 89, 93, 94, 95, 100, 102
3.	गृह(पुलिस)	112, 114, 115, 117, 123, 133, 135
4.	जल संसाधन	157, 162, 165 ''अ'', 248
5.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	168, 172
6.	चिकित्सा शिक्षा	184, 187
7.	स्कूल शिक्षा	190, 191, 193, 194, 201, 205, 206, 207, 227, 234
8.	पशुपालन	254
9.	खनिज साधन	259, 262
10.	महिला एवं बाल विकास	292, 295, 296, 297, 299
11.	कृषि	306, 314
12.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	312
13.	वन	324, 330
14.	आदिम जाति कल्याण	337
15.	उच्च शिक्षा	358, 359, 361
16.	लोक निर्माण	366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 379, 380, 381, 384, 385, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 402, 403, 404
17.	सहकारिता	405, (407+ 408), 413, 415, 419, 423
18.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	433, 438, 443, 446
19.	सामान्य प्रशासन	450, 453, 455
20.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	305, 458, 460, 472
21.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	475
22.	ऊर्जा	486, 487, 490, 492, 492, 494, 496

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	01	ता.प्र.सं.02 (क्र.4293) दि. 22.02.2001	जबलपुर महानगर के सराफा वार्ड में निर्माणाधीन मकान बगैर आयुक्त के आदेश के तोड़ने पर हुए नुकसान की राशि की वसूली तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई एवं इस संबंध में आदेशित दण्डाधिकारी जांच को पूर्ण करने की अवधि।	(1) दण्डाधिकारी जांच के अनुसार जिम्मेदारी व्यक्तियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जावेगी। (2) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। (3) एक सप्ताह में जांच पूरी की जावेगी।	दिनांक 18.08.2000 को सराफा बाजार में श्री प्रकाश अग्रवाल का अवैध निर्माण हटाये जाने के दौरान आम नागरिकों को चोटें आई थी और इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच कलेक्टर द्वारा आदेशित की गई थी। मजिस्ट्रियल जांच के निष्कर्षों के अनुसार श्री राकेश अयाची, उपायुक्त एवं श्री अजय शर्मा, कार्यपालन यंत्री को समय से पूर्व घटना स्थल पर न पहुंचने का दोषी बताया गया। प्रकरण के संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था उपर्युक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री राकेश अयाची उपायुक्त एवं श्री अजय शर्मा कार्यपालन यंत्री के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई हेतु मेयर-इन काउन्सिल ने 22.12.2007 को इस घटना पर विचार कर संकल्प क्रमांक 281 पारित किया था जो इस प्रकार है –''आयुक्त के पत्र क्रमांक 258 दिनांक 19.02.07 के अनुसार सराफा कांड के जांच प्रतिवेदन पर विचार किया गया। तत्समय की गई मजिस्ट्रियल जांच में पाया गया कि कथित अतिक्रमण तोड़ने के लिये जे.सी.बी. मशीन भेजने के पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गई। जांच में निष्कर्ष यह है कि यदि सक्षम अधिकारी समय पर स्थल पर पहुंच जाते तो यह घटना घटित नहीं होती। यहां विचारणीय यह है कि जब उक्त कथित अतिक्रमण हटाने की सक्षम स्वीकृति नहीं ली गयी थी जो जिम्मेदार अधिकारी को उक्त घटना के लिये बगैर अनुमति लिये जे.बी.सी. मशीन को लाकर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई के लिये वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। इस बिन्दु पर मजिस्ट्रियल जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। अत: जबलपुर कलेक्टर से निवेदन किया जाये कि जांच अधिकारी को उक्त बिन्दु पर जांच करने हेतु आदेशित किया जावे''। तदानुसार पत्र क्रमांक नि.स.(आ.)/2007 /17 दिनांक 30.05.2007 के द्वारा कलेक्टर जबलपुर को पत्र प्रेषित किया गया था। कलेक्टर (प्रथम) जबलपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 60/स्टेनो/ अ.कले.-1/08 जबलपुर दिनांक 28.03.08 के द्वारा उत्तर प्रेषित कर लिखा गया है कि कार्रवाई आप अपने स्तर पर करने का कष्ट करें। उपरोक्त उत्तर के पश्चात् महापौर की बैठक दिनांक 09.11.09 के संकल्प क्रमांक 229 द्वारा निर्णय लिया गया – ''विनिश्चय किया गया कि उपरोक्तानुसार कलेक्टर (प्रथम)	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					जबलपुर के पत्र क्रमांक 60/स्टेनो/अ.कले. -1/08 जबलपुर दिनांक 28.03.2008 में वर्णित पैराग्राफ-2 के अंतर्गत वर्णित स्थितियों में श्री राकेश आयाची और श्री अजय शर्मा कार्यपालन यंत्री को जिम्मेदार नहीं माना गया है क्योंकि ये अधिकारी घटना घटित होने के पश्चात् पहुंचे थे तदनुसार इन अधिकारियो को दोषी न मानते हुये वसूली से मुक्त किया गया है । इस प्रकरण में माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर जिला न्यायालय जबलपुर द्वारा व्य.वाद/क्र.21बी/2002 में दिये गये निर्णय दिनांक 09.10.2003 के परिपालन में नगर निगम द्वारा दिनांक 12.08.2004 को राशि रू. 1,78,625/- माननीय न्यायालय में जमा करा दी गई है । इसके अतिरिक्त घायलों को सहायता एवं उपचार पर राशि रू. 4,58,394/- की राशि व्यय हुई है । माननीय न्यायालय के आदेशानुसार क्षतिपूर्ति एवं उपचार सहायता का भुगतान किया जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2930/2611/2011/18-2,** **दिनांक 18.11.2011**	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	04	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 16.01.2001	बाणसागर परियोजना की मुख्य नहर के टूटने से कृषकों की फसले डूबने के कारण मुआवजा दिया जाना एवं नहर के टूटने की जांच कमिश्नर रीवा से कराई जाना तथा पावर के नाल की चार महीने के अंदर टूटने की जांच।	(1) कितनी फसल नष्ट हुई उसका भी आंकलन कर रहे है उनकी रिपोर्ट आते ही मुआवजा दे दिया जाएगा। (2) वह जांच करने के बाद जो रिपोर्ट देगें उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। (3) मैं जांच के आदेश दे दूंगा कि कमिश्नर साहब जांच कर लें। (4) ठीक है जांच के आदेश दे देते हैं दोषी अधिकारियों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा।	• दिनांक 28.12.2000 को पावर चेनल-2 ग्राम सिलपरा के आर.डी. 514 किमी पर स्थित आर.सी.सी. डक्ट (क्रास ड्रेन) से पानी निकलकर आस-पास के खेतों में भर जाने के कारण फसल की नुकसानी हुई थी। • फसल की नुकसानी का सर्वेक्षण कलेक्टर, रीवा द्वारा कराया जाकर कुल मुआवजा रू. 4,78,500/- निर्धारित किया गया था। जल रिसाव के कारण फसलों के नुकसान के मुआवजे की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता (सिविल) पी.एण्ड डी./परियोजना जबलपुर द्वारा यू.ओ. नोट क्रमांक 165 दिनांक 16.05.2001 द्वारा मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। • मंडल के सक्षम अनुमोदन पश्चात् चैयरमेन, म.प्र. विद्युत मंडल के यू.ओ. नोट क्रमांक 5258 दिनांक 16.07.2002 द्वारा मुआवजा भुगतान स्वीकृत किया गया था जिसे मुख्य अभियंता (सिविल) पी.एण्ड.डी./परि. जबलपुर के क्रमांक 1765 दिनांक 18.07.2002 द्वारा सूचित किया गया था। • मुख्य अभियंता (सिविल) टी.एच.पी. सिरमोर के पत्र क्रमांक 91-84/2169 दिनांक 09.08.2002 द्वारा मुआवजा भुगतान अनुमोदन की सूचना अधीक्षण यंत्री (सिविल) –तीन, सिलपरा को दी गई थी जिसे इस कार्यालय में प्राप्त होने पर पूर्ण मुआवजा भुगतान संबंधितों को करने की कार्रवाई माननीय मंत्री महोदय के विधान सभा में दिये आश्वासन के अनुरूप की जा चुकी है। • इसके अनुसार बाणसागर डेम से प्रथम बार माह अगस्त 2000 में 36.57 किमी लंबी संयुक्त जल वाहिनी तथा 6.00 किमी लंबी पावर चेनल-2 में जल प्रवाह चालू किया गया था। इस तरह की बड़ी नहर में प्रथम बार चार्जिंग करने पर कुछ कठिनाईयां आना स्वाभाविक है। अत: उपरोक्त क्षति, किसी भी अधिकारी की लापरवाही से नहीं हुई है तथा किसी को इसके लिए दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 317/271/2012/18-2, दिनांक 08.02.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	07	अता.प्र.सं.04 (क्र.205) दि.17.01.2001	सागर नगर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने हेतु स्वीकृत राशि को अन्य मदों में खर्च करने की जांच एवं दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाना।	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री जे.जे. जोशी तात्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर सुधार न्यास और श्री चन्द्र मौली पाण्डेय तात्कालीन आयुक्त नगर निगम सागर उत्तरदायी पाए गए जिस पर संबंधितों को आरोप पत्र दिये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1723/1461/2013/18-2,** **दिनांक 03.06.2013** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 04.07.2013 से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***श्री जे.जे.जोशी तत्कालीन मुख्य नगर-पालिका अधिकारी एवं श्री चन्द्र मौली पाण्डे तत्कालीन आयुक्त नगर निगम को आरोप पत्र कब दिये गये तथा प्रकरण के संदर्भ में जांच एवं कार्रवाई की अद्यतन स्थिति तथा जांच समय सीमा में पूर्ण न होने के लिये संबंधित अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी से समिति को अवगत करावें।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – 1 के अनुसार
4.	08	परि.अता.प्र.सं.17 (क्र.1719) दि.22.02.2001	नगर पालिक परिषद बैतूल में आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त अनुदान से क्रय किये गये जी.आई.पाईप में की गई अनियमितता की जांच तथा दोषी परिषद पदाधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	नगर पालिका परिषद बैतूल आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त राशि से क्रय किये जी.आई. पाईप में अनियमितता की जांच कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बैतूल से कराई गई है। जांच में दोषी पाए गए श्री रणवीर कुमार तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैतूल को आरोप पत्र दिये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3935/968/04/18-2,** **दिनांक 20.09.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 05.10.04 से अद्यतन जानकारी चाही गई थी, जो अभी भी अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
5.	10	परि.अता.प्र.सं.48 (क्र.3480) दि.22.02.2001	हरदा नगर पालिका. में स्थानीय शासन मंत्री के फर्जी हस्ताक्षरित पत्र के दोषियों तथा पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई।	पुलिस जांच जारी है । दोषियों के विरूद्ध जांच उपरांत कार्रवाई की जावेगी।	आश्वासन के संबंध में पुलिस अधीक्षक हरदा ने अवगत कराया है कि मा.मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा का हस्ताक्षर युक्त पत्र पूर्व मु.ना.पा.अधि. हरदा को प्राप्त हुआ था। जांच में पाया गया कि हेल्थ क्लब हरदा जो कि हेल्थ स्टेडियम हरदा में संचालित है। किसी को आवंटित नहीं किया गया, फर्जी पत्र कहां से प्राप्त हुआ मालूम नहीं चल सका, थाना हरदा में कोई प्रकरण नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11-41/01/18-1,** **दिनांक 27.04.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत इस सचिवालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से अद्यतन जानकारी चाही गई थी, जो अप्राप्त है।	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.	13	अता.प्र.सं.24 (क्र.2666) दि. 28.02.2001	बैतूल के शुभम फोटो चौक के समीप पुलिया निर्माण कार्य की जांच तथा कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	कार्यपालन यंत्री भोपाल संभाग को जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देने के कारण प्रकरण प्रक्रियाधीन हो गया है। इस कारण वर्तमान में किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6204/2008/18-1,** **दिनांक 18.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.10.2012 से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***बैतूल के शुभम फोटो चौक के पुलिया निर्माण कार्य की जांच कार्यपालन यंत्री भोपाल संभाग द्वारा किये जाने के पश्चात जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति अवगत होना चाहती है।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
7.	18	अता.प्र.सं.01 (क्र.812) दि. 01.03.2001	नगर पालिका डबरा द्वारा श्री राकेश कुमार बाबूलाल झा को परिषद द्वारा बिना नीलामी के लीज पर भूमि दिये जाने की दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई एवं लीज को निरस्त किया जाना।	प्रकरण की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	प्रकरण की जांच उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा की गयी। नगर पालिका परिषद डबरा जिला ग्वालियर के स्वामित्व की तहसील रोड पर स्थित रिक्त भूमि 6X10 फुट परिषद के संकल्प क्रमांक 83 दिनांक 09.06.2000 के द्वारा राकेश पत्र बाबूलाल झा को 11 माह के लिए अस्थायी लीज पर दी गई थी। अवधि समाप्त होने पर आवेदक द्वारा पुन: आवेदन प्रस्तुत कर लीज की अवधि 35 माह के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है, भूमि/दुकान खाली कराकर निकाय के आधिपत्य में लिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3085/3072/2014/18-2,** **दिनांक 16.09.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।
8.	23	ता.प्र.सं.11 (क्र.6495) दि. 19.03.2001	सिरोंज नगर पालिका द्वारा ट्रेक्टर व इंजन की खरीदी एवं जनरेटर खरीदने के पूर्व ही राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने की जांच एवं कार्रवाई।	नगर पालिका सिरोंज और लटेरी द्वारा प्रश्नाधीन सामग्री की खरीदी संबंधी प्रकरण की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	प्रकरण में कार्यपालन यंत्री संभागीय कार्यालय भोपाल को जांच करने के निर्देश दिए जाने के कारण प्रकरण प्रक्रियाधीन हो गया। इसके निराकरण में समय लगने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6200/2008/18-1,** **दिनांक 18.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.10.2012 से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***कार्यपालन यंत्री को सौंपी गई जांच की अद्यतन स्थिति से समिति अवगत होना चाहती है।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	25	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.1395) दि. 19.03.2001	सबमर्सिबल पंप खरीदने में दोषी पाए गए सी.एम.ओ. पन्ना एवं तीन अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच की कार्रवाई प्रचलित है।	उप संचालक, सागर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई प्रारंभ होगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6216/2008/18-1,** **दिनांक 18.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.10.12 से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***उप संचालक सागर को सौंपी गई जांच की अद्यतन स्थिति से समिति अवगत होना चाहेगी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
10.	30	अता.प्र.सं.21 (क्र.5110) दि. 19.03.2001	हरदा नगर पालिका में पदस्थ सी.एम.ओ. तथा लेखपाल बल्लू मिश्रा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच व दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई संभव होगी।	प्रकरण की उप संचालक, भोपाल से जांच कराई जा रही है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6219/2008/18-1,** **दिनांक 18.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.10.12 से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***उप संचालक भोपाल को सौंपी गई अद्यतन जांच की स्थिति से समिति अवगत होना चाहती है।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
11.	41	परि.अता.प्र.सं.15 (क्र.5365) दि. 27.03.2001	जबलपुर न.नि. में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाने संबंधी प्रतिबंध का उल्लंघन कर विज्ञापन दिये जाने की जांच एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच हेतु निर्देश दिये जा रहे है जांचोपरांत कार्रवाई का निर्णय लिया जा सकेगा।	संभागीय उपसंचालक जबलपुर से जांच कराई गई जांच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि समाचार पत्रों में विज्ञापन पर किये गये व्यय नगर निगम निधि से बजट प्रावधान के अनुसार किये गये है। चूंकि समस्त व्यय निधि से बजट प्रावधान के अनुसार किये गये हैं ऐसी स्थिति में कोई आपत्ति अथवा अनियमित्ता प्रमाणित नहीं होती है। विज्ञापन पर किये गये व्यय के लिये कोई भी दोषी नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1221/751/2012/18-2,** **दिनांक 31.03.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	45	परि.अता.प्र.सं.59 (क्र.7422) दि. 27.03.2001	जिला सिवनी की नगर पंचायत बरघाट द्वारा जनविरोधी कार्य किये जाने संबंधी शिकायत की जांच एवं सुलभ कॉमप्लेक्स को पुन: चालू कराने एवं बस स्टेण्ड में जाने वाले मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्यों का रोका जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।	प्रकरण में जांच करायी गई। जांच में तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री जोगी लाल नामदेव एवं तत्कालीन अध्यक्ष, श्री अनिल सिंह ठाकुर दोषी पाए गए थे। शासन द्वारा श्री जोगी लाल नामदेव के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर विधि अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है एवं शासन आदेश दिनांक 24.01.2012 द्वारा श्री अनिल सिंह ठाकुर, तत्का. अध्यक्ष, नगर पंचायत, बरघाट जिला-सिवनी को दो वर्ष के लिये निर्वाचन के अयोग्य घोषित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11-103/2011/18-3,** **दिनांक 03.06.2013** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 31.10.12 से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***1. प्रकरण में प्रारंभिक जांच कब आदेशित की गई व कब पूर्ण हुई जांचकर्ता अधिकारी का नाम व पद।*** ***2. श्री जोगी लाल नामदेव के विरूद्ध विभागीय जांच कब आदेशित की गई जांच अधिकारी का नाम पद/ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का नाम पद व जारी आदेशों की प्रति भेजे।*** ***3. विलंब के कारणों पर विभागीय टीप।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
13.	48	परि.अता.प्र.सं.72 (क्र.7552) दि. 27.03.2001	बालाघाट नगर पालिका परिषद की उपाध्यक्ष अनीशा बेगम द्वारा स्टॉक रजिस्टर एवं बिल में सत्यापन किये बिना बिल का भुगतान स्वीकृत करने की जांच एवं कार्रवाई।	प्रकरण में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।	प्रकरण की जांच करायी गई। प्रकरण में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अध्यक्ष और प्रभारी अध्यक्ष दोषी पाए गए है। अध्यक्ष के विरूद्ध अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चल रही है। प्रकरण में प्रभारी अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्रमश: कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6219/2008/18-1,** **दिनांक 18.07.2008** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 15.11.10 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***अध्यक्ष प्रभारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के बाद प्रकरण की अद्यतन जानकारी से समिति अवगत होना चाहती है।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
राजस्व विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	59	ता.प्र.सं.14 (क्र.1021) दि. 19.02.2001	रायसेन जिले में सोम डिस्टलरी से डायवर्सन टैक्स की वसूली।	डायवर्सन वसूली की राशि निर्धारित होने पर ही वसूली की सकेगी।	सोम डिस्टलरीज प्राय.लि. से ग्राम सेहतगंज एवं पीपलखिरिया स्थित भूमि के डायवर्सन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश उपरांत वर्ष 2011-12 तक की राशि रू. 43313/- डायवर्सन टैक्स के रूप में एस.बी.आई. शाखा रायसेन में चालान के माध्यम से जमा किया जाकर वसूली करा ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **361/566/2009/सात-6,** **दिनांक 23.02.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
15.	61	परि.अता.प्रं.सं.16 (क्र.1692) दि. 19.02.2001	बैतूल जिले की मुलताई तहसील अंतर्गत भारत पटेल सर्री द्वारा जिलाध्यक्ष बैतूल एवं एस.डी.ओ. राजस्व मुलताई को दिये गये शपथ की जांच एवं कार्रवाई।	जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	श्री गौरीशंकर, सरपंच दोषी पाये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी मुलताई के आदेश दिनांक 02.11.2002 के अनुसार उसे सरपंच के पद से पृथक किया गया व उसके विरूद्ध 1438/- रूपये भू-राजस्व बकाया पाये जाने से इस राशि की वसूली की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **975/161/2013/सात-4 ए,** **दिनांक 18.06.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
16.	64	ता.प्र.सं.11 (क्र.1697) दि. 27.02.2001	बैतूल जिले के मुलताई तहसील के प.ह.न. 22 कोहल्या शिवहरे के कार्यकाल एवं पटवारी मूल रिकार्ड में में अवैध इन्ट्री करने वाले गौरी शंकर पटेल तथा तहसीलदार पटवारी व अन्य दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	1. उनका निलंबन कर दिया गया है और विधिवत कार्रवाई करके उनको पद से हटा देंगे। 2. ज्यादा से ज्यादा महिने डेढ़ महिने के अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी। 3. सारी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। 4. इन सब के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है उनके खिलाफ विधिवत् कार्रवाई की जाएगी।	1. श्री गौरीशंकर पटेल को निलंबित किया जाकर उनके कार्य अवधि की जांच की जा रही है। 2. प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तत्कालीन तहसीलदार श्री डी.आर. महेश्वर, तत्कालीन राजस्व निरीक्षक श्री सुन्दर लाल मालवीय तत्कालीन पटवारी श्री कोहल्या शिवहरे, श्री रमेश गायकवाड़ व श्री रामदयाल राठौर के विरूद्ध विभागीय जांच प्रचलित है। दोषी कर्मचारी श्री कोहल्या शिवहरे के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी मुलताई को लिखा है। तत्कालीन तहसीलदार श्री क्यू.ए. खानवे के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को लिखा है। जांच में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11-100/2001/सात-4(5),** **दिनांक 01.02.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय पत्र दिनांक 26.11.2010 से निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई थी :- ***बैतूल जिले मुलताई तहसील के पटवारी हल्का न. 22 मूल रिकार्ड में अवैध इन्ट्री करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की अद्यतन जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	69	अता.प्र.सं.56 (क्र.4456) दि. 27.02.2001	कन्नौद जिला के देवास के वार्ड क्र. 12 में तालाब पर स्थित खेडापति हनुमान मंदिर के आस-पास के तथा अन्य अतिक्रमण हटाया जाना।	नियमानुसार कार्रवाई की जाकर संबंधित द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई तहसीलदार द्वारा की जावेगी। वार्ड क्र. 12 के सभी चिन्हित अतिक्रमणों के अतिक्रमण शीघ्र मुहीम चलाकर विभिन्न विभागों की संयुक्त कार्य योजना तैयार कर हटाये जावेंगे।	तहसील कन्नौद जिला देवास के अंतर्गत कसवा कन्नौद के वार्ड क्र. 12 में तालाब पर स्थित खेडापति हनुमान मंदिर के अतिक्रमण हटा दिये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-45/206/सात-नजूल,** **दिनांक 19.04.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
18.	71	ता.प्र.सं.04 (क्र.5464) दि. 07.03.2001	प्रदेश में सूखे से निपटने हेतु तहसीलों में खर्च की गई राशि	(1) जहां-जहां खर्च नहीं हुआ है उनको दिखवाकर निर्देशित करवाकर कर देगें आवंटन करने के लिए। (2) नाला बंधान के लिए पैसा दिया है और काम करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे।	(1) वर्ष 2000-01 में प्रदेश की 32 जिलों की 159 तहसीलें सूखे से प्रभावित हुई। 22490 ग्रामों की लगभग 1.28 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या सूखे के प्रकोप से प्रभावित हुई। (2) इन सूखा प्रभावित तहसीलों में प्रभावित जनता को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर 1243.55 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। इनमें से विभागीय कार्यों से 972.24 लाख तथा राहत कार्यों के माध्यम से 271.31 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। (3) सूखे की आपदा से निपटने के लिये प्रदेश शासन ने निम्नानुसार राशि आवंटित की :- **(राशि लाख रू. में)** 1. राहत कार्यों के संचालन हेतु 8677.20 2. नाला बंधान 22.50 3. पेयजल परिहवन ग्रामीण क्षेत्र 451.44 4. पेयजल व्यवस्था नगरीय क्षेत्र 1163.50 5. घास कटाई चारा व्यवस्था 248.00 6. गैर सूखा प्रभावित जिलों में 381.93 **योग :- 10944.57** इसके अतिरिक्त विभागीय मद में 88945.00 लाख की राशि कार्यों के संचालन में उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार कुल रूपये 99890 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10/59/2001/सात-3,** **दिनांक 26.08.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।
19.	72	ता.प्र.सं.12 (क्र.5300) दि. 07.03.2001	बीना विधानसभा क्षेत्र में बीना रिफाइनरी को भू-अर्जन की स्वीकृति दी जाना।	प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। प्रकरण में शीघ्र निर्णय लेकर निराकरण किया जाएगा।	राज्य शासन के आदेश क्रमांक-एफ-12-62/95/सात-9/157, दिनांक 6 फरवरी, 1999 द्वारा सागर जिले की बीना स्थित ग्राम कंजिया रैयतवारी की 5.91 हैक्टर निजी भूमि, अर्जन करने की स्वीकृति संबंधित बीना पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, को दी जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ/20/04/2011/सात/2ए,** **दिनांक 21.02.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	75	परि.अता.प्र.सं.37 (क्र.4919) दि. 07.03.2001	अरेरा कालोनी भोपाल में आवासीय प्लाट क्र. ई 1/92 पर व्यवसायिक उपयोग किये जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाना।	पट्टे के शर्त के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया गया है । जिसका निराकरण शासन के निर्देशों के तहत किया जावेगा।	अरेरा कालोनी भोपाल में आवासीय प्लाट क्र. ई 1/92 पर व्यवसायिक उपयोग किये जाने के खिलाफ पट्टे की शर्त क्रमांक 17 के उल्लंघन होने पर न्यायालय नजूल अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 18/अ-20(4) 99-00 दर्ज किया गया । उक्त प्रकरण कलेक्टर भोपाल के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 9/अ-20(4) 05-06 में आदेश दिनांक 11.07.2006 में शर्त उल्लंघन मानते हुये भूखण्ड राजसात किये जाने के आदेश पारित किये गये थे । जिस पर पट्टाधारी डॉ पारूलकर द्वारा न्यायालय कमिश्नर भोपाल संभाग के समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त अपील क्रमांक 106/अपील/05-06 में आदेश दिनांक 30.10.06 से कलेक्टर भोपाल के आदेश दिनांक 11.7.06 को कायम रखते हुये अपील खारिज की गयी। पुन: डॉ पारूलकर द्वारा न्यायालय कमिश्नर भोपाल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें मान. राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा अपने आदेश दिनांक 7.12.2006 पारित किया गया, जिसमें लीज धारी डॉ एस.एल. पारूलकर के लीज भूखण्ड ई-1/92 क्षेत्रफल 8816 वर्गफुट की पट्टा शर्त 17 के उल्लंघन के संबंध में आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 30.10.2006 एवं कलेक्टर भोपाल के आदेश दिनांक 11.7.2006 को अपास्त किया जा कर शर्त उल्लंघन समाप्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2104/2786/2011/सात-नजूल,** **दिनांक 13.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
21.	76	अता.प्र.सं.14 (क्र.2511) दि. 07.03.2001	बैतूल जिले की मुलताई तहसील के ग्राम सर्रा में फर्जी इन्ट्री करने पर दोषी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाना।	विभागीय जांच में निर्णय अनुसार ही दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।	श्री कोहल्या शिवहरे तत्कालीन पटवारी वर्तमान राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित कर विभागीय जांच जारी है एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज करने बाबत थाना प्रभारी मुलताई को लिखा गया है । साथ ही रमेश गायकवाड़ वर्कलोड पटवारी को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच जारी है, एवं रामदयाल राठौर पटवारी के विरूद्ध भी विभागीय जांच जारी है। सुंदरलाल मालवीय तत्कालीन कानूनगो (वर्तमान में जिला होशंगाबाद) के विरूद्ध विभागीय जांच जारी है । सभी प्रकार से जांच कार्य पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 11-10/2001/सात-4(5),** **दिनांक 05.01.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत इस सचिवालय के पत्र दिनांक 22.12.2005 से अद्यतन जानकारी चाही गई थी। **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.	80	परि.अता.प्र.सं.37 (क्र.5723) दि. 22.03.2001	गुजरात में भूकंप पीडितों की सहायता हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष में प्राप्त राशि को गुजरात सरकार को भेजे जाने की कार्रवाई ।	बैंक में विलेखों को धनराशि का संग्रहण होने के पश्चात् धनराशि भेजने की कार्रवाई की जावेगी।	गुजरात के अब तक भुज के भूकंप पीडितों की सहायतार्थ राज्य के मुख्यमंत्री सहायता कोष में माह नवम्बर तक राशि रूपये 5,60,63,718 =91 पैसे जमा हो चुकी है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा गुजरात के भूकंप पीडित ग्राम कोटाय को पुनर्निमाण कार्यों के लिए गोद लिया गया है तथा वहां पर पुनर्निमाण कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। पुनर्निमाण कार्यों की कुल लागत रूपये 6.50 करोड़ है । पुनर्निमाण के कार्यों में मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा राशि का उपयोग किया जा रहा है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-66/2001/सात-सा-3,** **दिनांक 27.13.2001**	कोई टिप्पणी नहीं ।
23.	81	परि.अता.प्र.सं.59 (क्र.6303) दि. 22.03.2001	छतरपुर जिले में मौजा लौड़ी स्थित आराजी नम्बर 632/2 का पुन: सीमांकन कराया जाना।	सर्वे न. 631/2 का पुन: सीमांकन शीघ्र कराया जाएगा ।	न्यायालयीन प्रकरण क्र. 7-3/12/89-90 में पारित आदेश दिनांक 28.2.2001 के प्रकाश में ग्राम लौंड़ी जिला छतरपुर की भूमि खसरा क्र. 631/2 का सीमांकन दिनांक 05.08.03 को करा लिया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-20-173/2001/सात-2ए,** **दिनांक 07.01.2004**	कोई टिप्पणी नहीं ।
24.	82	परि.अता.प्र.सं.60 (क्र.6353) दि. 22.03.2001	भिण्ड जिले की गोहद तहसील के हल्का क्र. 77 में पूर्व पदस्थ पटवारी प्रेमनारायण के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई ।	उपरोक्त प्राप्त शिकायतों की जांच अपर तहसीलदार टप्पा मौ एवं अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा की जा रही है । जांच उपरांत संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाना संभव है।	श्री प्रेमनायण श्रीवास्तव, पटवारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराने पर दोषी पाए जाने से इनके विरूद्ध आरोप पत्र जारी किए जा चुके है तथा विभागीय जांच संस्थित की जा रही है । ग्राम किटी एवं जारंट के अभिलेख में पाई गई अवैध प्रविष्टियों की तत्कालीन नायब तहसीलदार मौ द्वारा निरस्त करते हुए पूर्व की स्थिति अभिलेख में कायम की जा चुकी है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11-98/2001/सात-4(5),** **दिनांक 04.03.2002**	कोई टिप्पणी नहीं ।
25.	89	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.6837) दि. 29.3.2001	पथरिया विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के भूमिहीन लोगों को कृषि कार्य हेतु भूमि वितरित करने की अवधि ।	सर्वेक्षण उपरांत नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को कृषि भूमि का वितरण दिनांक 30.6.2001 तक करने के निर्देश है ।	पथरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सर्वेक्षण में पात्र अनुसूचित जाति के 42 व्यक्तियों को रकबा 23.83 एवं अनुसूचित जनजाति के 28 व्यक्तियों को रकबा 21.57 भूमि का बंटन किया गया है । 2. भूमि का वितरण करने की समयावधि 31.12.01 तक बढ़ा दी गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20-191/2001/सात-2 ए,** **दिनांक 11.12.2001** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 07.01.2002 से अद्यतन जानकारी चाही गई थी । **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है ।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	93	अता.प्र.सं.25 (क्र.5945) दि. 29.3.2001	होशंगाबाद जिले में कलेक्टर कार्यालय के सेवा निवृत्त कर्मचारी श्री मोहनलाल चौधरी एवं श्री डी.पी. दुबे राजस्व निरीक्षक के स्वत्वों का भुगतान।	भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही भुगतान किया जावेगा।	1) श्री डी.पी. दुबे सेवा निवृत्त राजस्व निरीक्षक के सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक ए.एन.एमपी-32617 अंतिम भुगतान संबंधी प्रकरण में कलेक्टर होशंगाबाद के पत्र दिनांक 21.05.2008 द्वारा ए.जी.एम.पी. को लिखा गया है। 2) श्री मोहनलाल चौधरी सेवा निवृत्त भृत्य तहसील इटारसी के परिवार कल्याण निधि की राशि समूह बीमा योजना की राशि विभागीय भविष्य निधि की राशि तथा पेंशन एवं ग्रेच्यूटी का भुगतान कोषालय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **10/2901/8/सात-4 बी,** **दिनांक 05.01.2001**	कोई टिप्पणी नहीं।
27.	94	अता.प्र.सं.71 (क्र.7543) दि. 29.03.2001	इंदौर जिले में विकसित कॉलोनियों में विकासकर्ता द्वारा बगीचे की भूमि का अन्य उपयोग किये जाने की जांच एवं कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।	प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष दिवानी प्रकरण क्रमांक 60-ए/07 विचाराधीन है। जिसमें आगामी पेशी तारीख 07.07.2009 द्वारा नियमत की गई है। अत: संसदीय कार्य नियमावली के पद 8.5(9) के अंतर्गत आश्वासन विलोपित किये जाने का अनुरोध है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-91/01/सात-नजूल,** **दिनांक 28.07.2009** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 26.11.2002 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***इंदौर जिले में कॉलोनियों के विकासकर्ता द्वारा बगीचे की भूमि का अन्य उपयोग किये जाने के प्रकरण में मा.न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
28.	95	ता.प्र.सं.03 (क्र.1255) दि. 03.04.2001	ग्वालियर जिले में सीलिंग एक्ट के अंतर्गत अतिशेष भूमि का भूमिहीनों को आवंटन।	बंटन हेतु अतिशेष भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार आवंटन किया जावेगा।	भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रचलित नियमों के तहत न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत की जाती है। यह सतत प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ नम्बर 20-133/2011/सात(शा.-2) A** **दिनांक 14.08.2012** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 30.10.2012 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***विगत 11 वर्षों में सीलिंग एक्ट के तहत कितने भूमिहीनों को अतिशेष भूमि का आवंटन हुआ है इसकी जानकारी दी जाना चाहिए। तदनुसार विगत वर्षों में भूमि हिनों को आवंटित भूमि की अद्यतन जानकारी से समिति अवगत होना चाहेगी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	100	अता.प्र.सं.14 (क्र.1140) दि. 03.04.2001	जिला टीकमगढ में दिनांक 05.08.97 को रामदास सौर निवासी चकरा द्वारा विक्रय पत्र में लम्पू सौर के नाम से अपना छायाचित्र लगाकर विक्रय कर नामांतरण कराने संबंधी प्रकरण की जांच।	जांच की जाएगी।	जिला टीकमगढ़ के ग्राम डुमरउ मोटा पटवारी हल्का नं. 11 स्थित भूमि खसरा नं. 31.1.1 रकबा 2.013 हे. एवं खसरा नं. 35/18 रकबा 5.855 हे. विक्रेतागण क्रमश: रगवर तनय रम्मुवा सौर, जलमा तनय गुन्चा सौर, गनेशा तनय नन सौर एवं लम्पू तनय उदइयां सौर, निवासीगण चकरा, तहसील टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 05.08.1997 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक अ-1/752 द्वारा क्रेता गोटीराम तनय श्री रजमन सौर, निवासी खरों तहसील जतरा हाल निवासी ताल दरवाजा टीकमगढ़ को विक्रय की गई थी। जिसका नामांतरण ग्राम डुमरऊ मोटा की नामांतरण पंजी क्रमांक 17 दिनांक 14.08.1997 के द्वारा क्रेता श्री गोटीराम तनय रजमन सौर के नाम स्वीकृत किया गया था। गोटीराम तनय श्री रजमन सौर, निवासी खरों तहसील जतारा द्वारा उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 24.02.1998 द्वारा क्रेता श्रीमती रामप्यारी पत्नी श्री दुर्गाप्रसाद तिवारी एवं श्रीमती मीरा पत्नी श्री राजेन्द्र तिवारी को विक्रय की गई। वर्तमान में उक्त भूमि क्रेतागण श्रीमती रामप्यारी तिवारी वगैरह के नाम दर्ज है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक अ-1/752 दिनांक 05.08.1997 पर विक्रेता 4 लम्पू तनय उदइयां सौर के नाम से विक्रय पत्र पर चस्पा छाया चित्र का परीक्षण तहसीलदार टीकमगढ़ से कराए जाने पर पाया गया कि लम्पू के स्थान पर रामदास पुत्र लम्पुआ आदिवासी का छायाचित्र चस्पा कर विक्रय पत्र संपादित किया गया है। विक्रय पत्र निष्पादन के समय लम्पू तनय उदइयां सौर की मृत्यु हो चुकी थी और उक्त रजिस्ट्री रामदास के द्वारा ही की गई थी। उक्त प्रकार से संपादित विक्रय पत्र क्रमांक अ-1/752 दिनांक 05.08.1997 अवैध है। **विभागीय पत्र क्रं. –** **डी 1472/1543/2010/सात/6,** **दिनांक 03.09.2012** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किये जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 30.10.2012 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***भूमि विक्रय पत्र क्रमांक अ-1/752 दि. 05.08.1997 अवैध पाई गई नियम विरूद्ध भूमि क्रय विक्रय हेतु संबंधितों पर क्या कार्रवाई की गई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
30.	102	अता.प्र.सं.33 (क्र.1622) दि. 03.04.2001	तहसील सांवेर की ग्राम पंचायत माता बरोडी के पटवारी हल्का नं.17 की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को हटाया जाना।	ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव किये जाने पर अतिक्रमण हटा दिया जावेगा।	तहसील सांवेर के ग्राम पंचायत माता बरोडी के ठहराव प्रस्ताव अनुसार हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक तथा ग्राम पंचायत के सहयोग से पटवारी हल्का नं.-17 के समस्त ग्राम (बधाना, पितावल, माता बरोडी, मेरखेडी, सतलाना) की शासकीय भूमि पर कृषकों द्वारा किये गये अतिक्रमण हटा दिये गये हैं। वर्तमान में शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 20/180/2009/सात-2ए,** **दिनांक 18.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
गृह (पुलिस) विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31.	112	परि.अता.प्र.सं.65 (क्र.3619) दि. 20.02.2001	जिला दतिया के थाना थरेट में भाई भगत सिंह की हत्या एवं अन्य परिवारजनों को धमकी दिये जाने संबंधी दर्ज प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाना।	शेष 08 आरोपी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, दस्तयाब होने पर गिरफ्तार किये जायेंगे।	प्रकरण में आरोपी राममिलन पुत्र हाकिम सिंह, जनवेद सिंह पत्र झार सिंह, कौशल सिंह पुत्र जरदार सिंह, रामअवतार सिंह पुत्र हाकिम सिंह, कदम सिंह पुत्र गंभीर सिंह, विक्रम सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह एवं जगमोहन सिंह पुत्र काशीराम बघेल की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष 02 फरार आरोपी वीरेन्द्र सिंह गुर्जर एवं छोटे राजा गुर्जर पर दो-दो हजार रूपये का ईनाम घोषित है। प्रकरण में धारा 299 द.प्र.स. के अंतर्गत चालान क्र. 36/02, दिनांक 05.05.2002 तैयार कर न्यायालय पेश किया गया जिसका प्रकरण क्र. 163/02 दिनांक 08.05.2002 है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4363/3924/2011/बी-1/दो, दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
32.	114	अता.प्र.सं.32 (क्र.2591) दि. 20.02.2001	विकास खण्ड चितरंगी के सकरिया माइक्रो मायनर में हुए भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना।	स्वीकृति प्राप्त होने पर विधिवत कार्रवाई की जावेगी।	थाना चितरंगी जिला सिंगरौली में अप.क्र. 35/2001 धारा 419,420,467,468,471-ए भादवि एवं 6(क) मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत में आरोपी 1-अंजनी कुमार पिता शोभाराम वर्मा, 2-बी.वी. सिंह पिता रामचरण सिंह परिहार, 3-राजेन्द्र पिता रामसजीवन मिश्रा एवं 4-प्रहलाद पिता नरसिंह गौतम को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में पूर्ण विवेचना कर चालान क्र. 141/2007, दिनांक 02.11.07 को तैयार कर चालान दिनांक 07.02.2008 को माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी देवसर के न्यायालय में पेश किया गया जिसका प्रकरण क्र. 88/2008 है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीनहै। **विभागीय पत्र क्रमांक – 4909/4779/2011/बी-1/दो, दिनांक 28.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
33.	115	अता.प्र.सं.54 (क्र.3710) दि. 20.02.2001	मुनीनगर उज्जैन में पुलिस विभाग के आवासों में निवासरत बर्खास्त कर्मचारियों से आवास रिक्त कराया जाना।	कार्रवाई की जा रही है।	मुनीनगर उज्जैन स्थित पुलिस विभाग के आवास गृह जो प्र.आर.(रे) 132 रामसिया तथा आर. 1172-महेश प्रताप सिंह को आवंटित था जिसे पूर्ण रूप से रिक्त कराया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक – 5415/8698/2005/बी-4/दो, दिनांक 28.11.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	117	ता.प्र.सं.04 (क्र.3659) दि. 28.02.2001	इंदौर जिला के थाना सिमरोल में माह सितम्बर, 2000 में अवैध रूप से ले जा रहे लगभग एक करोड़ रूपये मूल्य के एवं ओ.पी.स्प्रीट से भरे गैस टेंकर की जप्ती में एक्साईज विभाग द्वारा की गई कार्रवाई एवं स्प्रीट मालिक के खिलाफ तथा इसमें कथित रूप से लिप्त केडिया को बडवाह में स्थापित डिस्टलरी की जांच एवं कार्रवाई।	(1) अब जो मुद्दे और आये हैं हम उनकी जांच करवालेंगे। (2) अब जो कोर्ट का निर्णय हो उसके बाद कार्रवाई की जावेगी। (3) धारा 173(8) दप्रस के तहत विवेचना अभी भी चल रही है चाहे केडिया हो चाहे आर.के.खान हो अगर वे दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावेगी यह मैं आश्वासन देता हूं।	थाना सिमरोल जिला इंदौर के अप.क्र. 245/2000 धारा 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. में चालानी कार्रवाई जिला पुलिस बल इंदौर द्वारा की गई थी जिस पर मान. न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, महू द्वारा दिनांक 05.01.01 को पारित अपने निर्णय में अभियुक्तों को बरी किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4377/3925/2011/बी-1/दो,** **दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
35.	123	ध्यानाकर्षण सूचना दि. 05.03.2001	ग्वालियर जिले के ग्राम खेड़ी थाना बिजौली से दि. 28.12.2000 को हथियार बंद लोगों द्वारा महेन्द्र सिंह बघेल के अपहरण में अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई जाना।	चर्चा कर लेगे और निराकरण कर लिया जावेगा।	दि. 26.12.2000 को फरि.खलकसिंह नि. खेड़ी ने अपने तड़के महेन्द्र सिंह बघेल सिंह पकड होने बाबत् रिपोर्ट की थी, जिस पर थाना बिजौली ने अप.क्रं. 185/00 धारा-365, 336, 34 ता.हि. इजाफा 364 ताहि पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण के आरोपियों को गि. कर उनके खिलाफ चा.क्र. 39/01 दि. 29.01.01 कता किया जाकर मान्. जेएमएफसी, ग्वालियर में प्रकरण क्रं. 154/01 दि. 30.04.01 पर पेश किया गया। वर्तमान में प्रकरण कमिट होकर एस.टी.नं. 316/01 माननीय न्यायालय षष्टम एडीजे ग्वालियर में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-13/300/2005/बी-1/दो,** **दिनांक 08.12.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
36.	133	परि.अता.प्र.सं.13 (क्र. 4673) दि. 23.03.2001	दतिया जिले में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की हत्याऐं एवं अपहरण की घटनाओं में अपराधियों के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया जाना।	शेष विवेचना पूर्ण होने के उपरांत न्यायालय में पेश किये जायेंगे।	दि. 01.01.2000 से 31.01.2001 तक जिले में अनुसूचित/जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों की हत्या एवं अपहरण की जानकारी प्रेषित की गई थी जिसमें हत्या के 39 प्रकरणों में 41 प्रकरणों का निराकरण दर्शाते हुए 8 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित थे जिनमें से 1 प्रकरण में ई.आर., 2 प्रकरणों में एफ.आर., 5 प्रकरणों में चालानकर्ता कर पेश न्यायालय किये गये हैं, जिनमें सभी प्रकरणों में आरोपी दोषमुक्त हुए हैं। इसी प्रकार अपहरण के 7 प्रकरणों में 4 प्रकरणों के निराकरण दर्शाते हुए 3 प्रकरण पुलिस विवेचना में लंबित थे। तीनों प्रकरणों में चालानकर्ता कर पेश न्यायालय किये गये हैं जिनमें सभी प्रकरण में आरोपीगण दोषमुक्त किये गये। इसी प्रकार अपहरण के 1 प्रकरण में 2 अभियुक्त मुक्ति हेतु लंबित थे जो दोनों अपहृत दिनांक 02.03.2001 को सकुशल मुक्त कराये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4002/3429/2011/बी-1/दो,** **दिनांक 10.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.	135	परि.अता.प्र.सं.20 (क्र.5060) दि. 23.03.2001	छतरपुर जिले में वर्ष 1998 से जनवरी 2001 तक दर्ज प्रकरणों पर कार्रवाई।	लंबित प्रकरणों की विवेचना जारी है जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी के सतत प्रयास जारी है।	उक्त अवधि में लंबित प्रकरणों में से मात्र 01 प्रकरण लंबित था। थाना हरपालपुर का अप.क्र. 65/98 विवचेना में लंबित था जिसमें आरोपियों के विरूद्ध साक्ष्य न मिलने के कारण खात्मा क्र. 5/05, दिनांक 31.12.05 कता किया गया है । सभी प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4389/3926/2011/बी-1/दो,** **दिनांक 02.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
जल संसाधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.	157	अता.प्र.सं.85 (क्र.5626) दि. 07.03.2001	जल संसाधन संभाग भोपाल अंतर्गत यंत्रियों के विरूद्ध विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	जांच प्रक्रिया गतिशील है।	यंत्रियों के विरूद्ध लंबित विभागीय जांच समाप्त की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – R-1878/पी-2/31/1010, दिनांक 05.07.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
39.	162	परि.अता.प्र.सं.85 (क्र.7007) दि. 22.03.2001	हिरन जल संसाधन विभाग जबलपुर में जलाशयों के निर्माण कार्यों में सी.टी.ई. जांच प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितता में दोषी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन मुख्य तकनीकी परीक्षक (स) के पास परीक्षण हेतु विचाराधीन है । अत: मुख्य तकनीकी परीक्षक (स) के निर्देश उपरांत कार्रवाई की जावेगी ।	मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा प्रकरण क्र. 7/93-94,165/94-95 एवं 161/96-97 जांच उपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है कोई भी कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं पाये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-21-21/पी-2/31/01/722, दिनांक 28.05.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
40.	165 (अ)	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.4927) दि. 29.03.2001	सेमरी कला बांध की माप पुस्तिका एवं पूर्व पदस्थापना में भी दस्तावेजों में हेराफेरी एवं जालसाजी करने वाले उपयंत्री के विरूद्ध कार्रवाई।	गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी।	श्री एस.के.खण्डेलवाल उपयंत्री के विरूद्ध सेमरीकलां बांध के निर्माण की निविदा अनुबंध क्रं. 222 से संबंधित कार्य निष्पादन एवं भुगतान में हुई अनियमितताओं की जांच के परिपेक्ष्य में मु.अभि. चंबल, बेतवा, कछार भोपाल के आदेश क्रं. 90/स्था-4/च.बे./01 द्वारा श्री खण्डेलवाल के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित कर आरोप पत्रादि दि. 03.08.01 को जारी किये गये । अधीक्षण यंत्री (जांचकर्ता अधि.) के जांच प्रतिवेदन में आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने के कारण मु.अभि. चंबल, बेतवा, कछार भोपाल के आदेश क्रं. 32/स्था4/च.बे./04 दि. 02.11.04 द्वारा परिनिंदा शास्ति अधिरोपित कर श्री खण्डेलवाल उपयंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच समाप्त की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-21-36/पी-2/31/10, दिनांक 16.06.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41.	248	ता.प्र.सं.10 (क्र.2011) दि.08.03.2001	1.होशंगाबाद आयुक्त कार्यालय में मूल अभिलेख गुम होने के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण। 2.वर्ष 1989 में प्रतिबंध के बावजूद पटवारी पद के विरूद्ध निम्न श्रेणी लिपिक की नियुक्ति की जांच। 3.उक्त कार्यालय में एक करोड़ रूपये के घपले की उच्च स्तरीय जांच तथा कार्रवाई।	1. इस अभिलेखों के न मिल पाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्रवाई की जावेगी। 2. इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिये हैं। पटवारी के पद पर किसी को लेकर गलत रेग्युलाइज किया है तो मैंने उसके लिये आयुक्त और सेक्रेटरी को निर्देश दिये हैं। 3. मैने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं और मैं स्वयं देखूंगी कि शीघ्र अतिशीघ्र नियमानुसार कार्रवाई इसमें होगी।	परियोजना प्रशासक तवा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ विभाग के पत्र दिनांक 05.12.2014 के अनुसार तवा आयाकट विकास प्राधिकरण में रू. 11 लाख के गबन संबंधी प्रकरण में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच उपरांत प्रकरण विशेष न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था । न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 03.01.2009 को खात्मा स्वीकार किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **553/779/2012/सा./31,** **दिनांक 11.09.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	168	अता.प्र.सं.2 (क्र.110) दि. 26.02.2001	जिला देवास में टी.टी. ऑपरेशन कराने वाले प्राध्यापक को वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना।	संबंधित प्राध्यापक द्वारा उक्त कार्य कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत उन्हें वेतन वृद्धि देने की कार्रवाई की जा सकेगी।	पात्र संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2781/2849/2010/सत्रह/मेडि-1,** **दिनांक 06.02.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
43.	172	परि.अता.प्र.सं.44 (क्र.5452) दि. 21.03.2001	कराहल में 10 बिस्तरीय वार्ड का निर्माण कार्य प्रारंभ न किये जाने की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना	जांच उपरांत ही दोषी पाए जाने पर यथोचित कार्रवाई की जावेगी।	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग श्योपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर करहाल ने 10 बिस्तरीय वार्ड एवं ओ.टी. के निर्माण कार्य को देरी से प्रारंभ करने के लिये लोक निर्माण विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-16-119/04/17/मेडि-1,** **दिनांक 28.05.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षणोपरान्त अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 13074/वि.स./आश्वा./2005, दिनांक 16.06.2005 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***जांच प्रतिवेदन एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट – 1 के अनुसार

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.	184	ता.प्र.सं.02 (क्र. 4609) दि. 05.03.2001	प्रदेश के मेडिकल कालेजों के छात्रों/ छात्राओं को होस्टल में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाना।	कुछ छात्रावासों में सुविधा उपलब्ध करा दी गई है जहाँ नहीं होगी वहाँ सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी।	प्रदेश मे संचालित 5 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु होस्टल सुविधा उपलब्ध है। इन स्वशासी महाविद्यालयों की होस्टलों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध संबंधी संस्थावार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:- (1) चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर यहाँ अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये होस्टल संबंधी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। (2) चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर इस संस्था में निम्नानुसार होस्टल है :- 1. पीजी होस्टल 2. सीनियर बॉयज होस्टल 3. सीनियर गर्ल्स होस्टल 4. पंडित रविशंकर होस्टल 5. जूनियर गर्ल्स होस्टल उक्त पांचों होस्टलों में लेटरिन, बाथरूम, पीने का पानी (एक्वागार्ड एवं वाटर कूलर) लाईट, गैस, कामन हाल, टीवी रूम, एक्सरसाईज का समान आदि की मूलभूत सुविधा है। **03 चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर यहाँ के सभी होस्टलों में निम्नानुसार सुविधा उपलब्ध हैं :-** टायलेटों का नवीनीकरण, नई बिजली फिटिंग, एक्वागार्ड, वाटर कुलर, गीजर, बाहरी दिवारों पर रंग रोगन, पलंगो का सुधार, गर्ल्स होस्टल की बाउण्ड्रीवाल, बिजली के नए मीटर, टेलीफोन, मेस का रंग रोगन, मेस में टेबिले, छात्र/छात्राओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दैनिक वेतन कर्मचारी लगाए गये है। **04 चिकित्सा महाविद्यालय रीवा-में तीन छात्रावास है जिसमें निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध है :-** 1. तीनों छात्रावासों में वार्डन एवं असिस्टेंट वार्डन कार्यरत है। 2. तीनों छात्रावासों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के साथ वाटर कूलर एवं एक्वागार्ड की व्यवस्था है। 3. समुचित प्रकाश एवं फर्नीचर की व्यवस्था है। 4. चौकीदार एवं स्वच्छक की व्यवस्था है। 5. कन्या छात्रावास में 24 घण्टे सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है। 6. को-आपरेटिव मेस की व्यवस्था है । 05 चिकित्सा	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					महाविद्यालय भोपाल वर्ष 2001 के पश्चात गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ए, बी, सी, डी, ई, एफ छात्रावासो मे रहने वाले छात्र एवं छात्रों को मूलभूत सुविधा जैसे छात्रावास में सुधार एवं निर्माण कार्य/अन्य सामग्रियों की पूर्ति समय-समय पर उपलब्ध कराई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-50/2011/55-1,** **दिनांक 01.08.2011**	
45.	187	परि.अता.प्र.सं.09 (क्र.5145) दि. 28.03.2001	जिला मण्डला में आयुर्वेद कार्या. में लेखापाल के रिक्त पद पर पदस्थी	मण्डला में रिक्त पद पर पदस्थी की कार्रवाई प्रचलित है।	संचालनालय के आदेश क्र. 3/स्था./744-50 दि. 03.03.03 के द्वारा श्री उपरेन्द्र चौबे, लेखापाल को अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद कार्या. मण्डला में स्थानांतरण द्वारा पदस्थ किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 6-21/2009/1-आयुष,** **दिनांक 20.04.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.	190	ता.प्र.सं.05 (क्र.932) दि. 19.01.2001	इंदौर में वर्ष 67 से 73 तक के पास प्रशिक्षित स्नातकों को पत्र वरीयता न देने तथा नियम विरूद्ध तरीके से कुछ लोगों को इसका लाभ दिये जाने की जांच तथा समय सीमा में कार्रवाई की जाना	1. जो जांच रिपोर्ट आई थी इसलिये डायरेक्टर संचालक को अधिकृत किया हैं और यह भी मैंने टाइम दिया है कि इनको मार्च के अंदर समूचे प्रकरण का निर्णय कर के दे दें ताकि जो पदोन्नति में विसंगतियां हैं उनका निराकरण कर सके। 2. इसलिये एक वरिष्ठ अधिकारी से और जांच करवा करके हम फाइनल करवा देंगे और आपकी जो मंशा है वह पूरी हो जायेगी। 3. 31 मार्च में नियम कर देता हूं यही 31 मार्च।	विभागीय जांच उपरांत श्रीमती पुष्पलता जैन, तत्का. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण इंदौर के विरूद्ध लगाये गये दोनों आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया। शासन द्वारा प्रकरण का पूर्ण परीक्षणोपरांत श्रीमती पुष्पलता जैन तत्का.संयु.संचा. लो.शि. इंदौर का विभागीय जाँच प्रकरण दिनांक 07.2.2008 को समाप्त किया गया हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1828/1984/2011/20-1,** **दिनांक 17.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
47.	191	परि.अता.प्र.सं. 31 (क्र. 847) दि. 19.01.2001	बुदनी एवं नसरूल्लागंज तहसील में प्राचार्यों के रिक्त पदों की पूर्ति।	पदोन्नति के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरने की कार्रवाई प्रचलित है। सीधी भर्ती के पदों को भरने की कार्रवाई प्रतिबंध समाप्त होने पर संभव होगी।	बुदनी एवं नसरूल्लागंज तह. के शास. उ.मा.वि. एवं शास. हाईस्कूल के कुछ प्राचार्य पदों की पूर्ति विभागीय आदेश क्र. एफ 12-13/07/20-1, दिनांक 13.8.07 एवं आदेश क्र. एफ 13-39/06/20-1, दिनांक 14.9.06 द्वारा की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-49/2009/20-1,** **दिनांक 26.06.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
48.	193	परि.अता.प्र.सं. 36 (क्र. 933) दि. 19.01.2001	जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के कार्यालय के अंतर्गत पत्र वरीयता देने में अनियमितता करने वाले दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई।	जाँच प्रचलित है जाँच उपरांत गुणदोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।	श्रीमती पुष्पलता जैन (मजेजी) तत्कालीन संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण इंदौर के जाँच प्रकरण में जाँच अधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती जैन के विरूद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए है। श्रीमती जैन का विभागीय जाँच प्रकरण, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-05/2002-2-38 दिनांक 07.02.2008 द्वारा समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-05/2001/बीस-4,** **दिनांक 10.09.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	194	परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 578) दि. 19.01.2001	रायसेन जिले में अटेच शिक्षाकर्मियों की सेवा समाप्त कर उनहीं ग्रामों के बेरोजगार युवकों को शिक्षाकर्मियों के पद पर पदस्थापना की जाना एवं नियम विरूद्ध अटेचमेंट के दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।	छः (6) शिक्षाकर्मियों का संलग्नीकरण समाप्त किया जा चुका है। नियम विरूद्ध संलग्नीकरण करने वाले तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारियों को भविष्य के लिए सचेत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1510/2011/20-1,** **दिनांक 04.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
50.	201	अता.प्र.सं. 77 (क्र. 3963) दि. 26.02.2001	उत्तरप्रदेश राज्य की मूल निवासी श्रीमती जानकी देवी अहिरवार के उमावि नौगांव जिला छतरपुर में उ.श्रे. शिक्षिका के आरक्षित पद पर नियुक्ति की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।	श्रीमती जानकी देवी अहिरवार उ.श्रे. शिक्षिका शास. बालक उमावि नौगांव के विरूद्ध विभागीय जांच पूर्ण किये जाने के उपरांत संबंधित शिक्षिकों के विरूद्ध केवल जानकारी छिपाये जाने के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छतरपुर के आदेश क्रमांक 101/शिक्षा/जि.प/04 छतरपुर दिनांक 08.11.2004 के द्वारा श्रीमती अहिरवार को भविष्य के लिये चेतावनी देते हुये प्रकरण को समाप्त किया जा चुका हे। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **975/1669/2011/20-1,** **दिनांक 10.06.2014**	कोई टिप्पणी नहीं।
51.	205	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.1741) दि. 21.03.2001	होशंगाबाद जिले के सोहागपुर तहसील के ग्राम शोभापुर में हायर सेकेण्डरी स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के भविष्य निधि का नियम विरूद्ध आहरण करने वाले दोषियों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया जाना एवं शिक्षकों को राशि वापसी।	पुलिस विवेचना पूर्ण होते ही चालान प्रस्तुत किया जा सकेगा । प्रकरण में निराकरण उपरांत गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी।	प्राचार्य श्री के.एस. जमरा एवं लिपिक श्री एम.एम.भार्गव वल्द श्री प्रेमनारायण के विरूद्ध चालान क्र.-136 आर.डी. 204 दिनांक 31.8.01 विवेचना उपरांत प्रस्तुत किया गया है गबन में हानिगत राशि की स्वीकृति क्र. एफ 8-14/2005/20-4 दिनांक 31.1.06 द्वारा दी जा चुकी है, जिसके आधार पर प्रभावित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा कर दी गई है। प्राचार्य श्री के.एस.जमरा दिनांक 25.08.2000 से निलंबित है तथा प्रकरण में लिप्त लेखापाल श्री एम.एम. भार्गव का स्वर्गवास हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-111/20-3/2008,** **दिनांक 18.09.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
52.	206	परि.अता.प्र.सं.26 (क्र.4642) दि. 21.03.2001	जिला सतना के विकासखण्ड रामपुर के शिक्षकों/कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में पांचवे वेतन आयोग की अंतरिम राहत की एरियर्स की राशि जमा न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	367 कर्मचारियों के लंबित प्रकरण का निराकरण प्रचलन में है । दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।	संबंधित समस्त कर्मचारियों का दिनांक 04.03.2010 की स्थिति में लंबित मंहगाई भत्ता, अंतरिम राहत एवं वेतन निर्धारण की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब किसी भी कर्मचारी का उक्त स्वत्व होना शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-68/2010/20-3,** **दिनांक 21.04.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53.	207	परि.अता.प्र.सं.61 (क्र.5928) दि. 21.03.2001	इंदौर अंतर्गत स्कूल प्रधानों द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटी गई राशि केशबुक में प्रविष्टि न करने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	केशबुक में प्रविष्टि न करने वाले प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। तद्परांत उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	वर्ष-2001 में ही संबंधित प्राचार्यों को कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्राप्त कर भविष्य में ऐसी त्रुटि न करने की कड़ी चेतावनी दी जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **883/1990/2007/20-4,** **दिनांक 26.06.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
54.	227	ता.प्र.सं.01 (क्र.1571) दि. 05.03.2001	रमेशचन्द्र, पुत्र बद्रीप्रसाद आर्य को मण्डल द्वारा प्रदत्त हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र में उपनाम ''आर्य'6 के स्थान पर शर्मा किए जाने व हायर सेकेण्डरी स्कूल सुजर्मा जिला मुरैना में कक्षा 9 में अध्ययन के दौरान अंक सूची में जन्मतिथि में फेरबदल किए जाने की उच्च स्तरीय जांच मा. सदस्य को शामिल कर की जाना।	1. एक वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच करवा लूंगा। 2. सदन की एक समिति वहां पर माध्यमिक शिक्षा मंडल में भी होती है उसमें भी अपने एम.एल.ए. रहते हैं उसके माध्यम से हम जांच करवा देंगे। 3. करा देंगे, कौन सी दिक्कत है, वहां पर दो तीन एम.एल.ए. हैं आप भी साथ में चले जाएं। 4. निष्पक्षता से जांच करवा दूंगा।	प्रमाणपत्रों अथवा अंकसूचियों में नाम/जन्मतिथि त्रुटिपूर्ण अंकित होने पर संबंधित छात्र द्वारा संशोधन हेतु आवेदन दिये जाने पर संशोधन कर दिया जाता है। किंतु संबंधित छात्र द्वारा मंडल में संशोधन हेतु कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण संशोधन नहीं किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2075/1546/20-3/2009,** **दिनांक 03.10.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
55.	234	अता.प्र.सं.21 (क्र.1442) दि. 11.04.2001	बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लाक में आदिवासियों की भूमि पर अशा.शिक्षण संस्थाओं द्वारा कब्जा कर बनाये गये भवनों में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं पर कार्रवाई की जाना।	जांच कराई जा रही है।	इस संबंध में तहसीलदार घोड़ाडोंगरी से 28 अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की जांच कराई गई नायब तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के जांच प्रतिवेदन दि. 22/2/2002 के साथ सहपत्रित सूची के सरल क्र. (रेखांकित) 1,2,3,4,5,6,7, 8,12,14 शालाओं के संबंध में कालम 4 में भूमि स्वामियों के नाम दर्शाये गये है। अत: इस प्रकरण में उचित कार्रवाई हेतु कलेक्टर बैतूल को अलग से लिखा जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 30-58/2002/20-5,** **दिनांक 04.04.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 07.01.14 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***विभाग द्वारा कलेक्टर को प्रेषित पत्र की प्रति के साथ ही प्रकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
पशुपालन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
56.	254	अता.प्र.सं.15 (क्र. 2188) दि. 27.02.2001	शहडोल जिले के पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में पदासीन डॉ. एच.एम.एस. बघेल के विरूद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार के प्रकरण की जॉच तथा राशि वसूली की कार्रवाई।	जॉच पूर्ण होने पर जॉच के निष्कर्ष के आधार पर अधिरोपित राशि के वसूली के निर्णय पारित किए जावेंगे।	डॉ. एच.एम.एस. बघेल, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के विरूद्ध संस्थापित विभागीय जॉच एंव जॉच प्रतिवेदन अनाधिकृत जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के कारण जांच प्रतिवेदन 466 दिनांक 20.3.09 को अमान्य किया गया पुन: जांच हेतु उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाऐं जिला सतना को जॉच अधिकारी आदेश क्र. 1347 दिनांक 28.6.2010 द्वारा नियुक्त कर 15 दिवस की समयावधि में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत लेख किया गया है। विभागीय जॉच प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-27/2001/पैंतीस,** **दिनांक 27.01.2012**	परिशिष्ट – 1 के अनुसार

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
खनिज साधन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57.	259	ध्यानाकर्षण सूचना दि.17.01.2001	कटनी जिले में बहोरीबंद तहसील में अवैध उत्खनन की जांच माननीय सदस्य की उपस्थिति में करायी जाना।	मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं टन की 200 मी. टन. अतिरिक्त उत्खनन किया है तो रायल्टी और बाजार भाव से जो कीमत होगी वो कंपनी से वसूल करेंगे और बहुत सी बात उत्खनन के बारे में अवैध पट्टे की बात सदस्य न कही है उसमें सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जबलपुर के संभागायुक्त से जांच कराकर जो भी माननीय सदस्य के पास से अवैध उत्खनन के प्रकरण हो वह दें, जांच में वह सदस्य स्वयं भी उपस्थित रहें। मैं इसकी जांच करा लेता हूं।	मेसर्स ओजस्वी मार्बल एण्ड ग्रेनाइट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर, कटनी में मेसर्स ओजस्वी के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर द्वारा उप संचालक (खनिज) कटनी से प्रतिवेदन चाहा गया है। उप संचालक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 5412/1395/2015/12/1, दिनांक 16.10.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
58.	262	परि.अता.प्र.सं.16 (क्र. 4131) दि. 02.03.2001	बैतूल एवं छिन्दवाड़ा जिले के नियंत्रित कोयला मूल्यों से अधिक राशि पर कोयला विक्रय के कारण शासन के उपक्रमों को हुये नुकसान की जांच तथा अतिरिक्त राशि की वसूली।	जांच की कार्रवाई प्रचलित है।	जांच कार्य पूर्ण कर ली गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ 15-20/2001/12/1, दिनांक 06.06.2006**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
महिला एवं बाल विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	292	परि.अता.प्र.सं.15 (क्र.485) दि. 17.01.2001	शिवपुरी जिले में वर्ष 99 से प्रश्न दिनांक तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई।	लिपिक की शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही है। प्रतिवेदन अपेक्षित है।	जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत असत्य एवं निराधार पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 5-12/2001/50-1,** **दिनांक 09.12.2004** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्रमांक 20492/वि.स/आश्वा./2007, दि.29.09.2007 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***जांच प्रतिवेदन की प्रति भेजें एवं अद्यतन स्थिति की जानकारी भेजें।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
60.	295	ता.प्र.सं.07 (क्र. 3312) दि. 22.02.2001	भिण्ड जिले के अटेर विकासखण्ड में चल रहे आंगनवाड़ी भवन विहीन केन्द्रों के भवनों के लिये राशि स्वीकृत की जाना।	हम इसकी जांच करा लेंगे कि भवन क्यों नहीं बन रहे हैं।	भिण्ड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र में कुल स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन 57 हैं जिनमें से वर्तमान में 29 भवन पूर्ण, 12 निर्माणाधीन तथा 16 आंगनवाड़ी भवन अप्रारंभ है। उक्त 16 आंगनवाड़ी भवनों में से 15 आंगनवाड़ी भवन वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत किये गये हैं। अप्रारंभ आंगनवाड़ी भवनों के लिए लो.नि.वि. के पत्र क्रमांक 5240 दिनांक 26.12.2011 के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई थी। 9 आंगनवाड़ी भवनों के लिए टेण्डर प्राप्त नहीं होने से पुन: निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई प्रचलन में है। निर्माणाधीन आंगनवाड़ी भवनों की अद्यतन स्थिति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **205/1503/2011/50-2,** **दिनांक 02.02.2012** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 18.04.2012 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***शेष अप्रारंभ एवं निर्माणाधीन आंगनवाडियों का निर्माण पूर्ण होने की संभावित समयावधि एवं इसके निर्माण में विलंब के दोषियों पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से समिति अवगत होना चाहेगी।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61.	296	ता.प्र.सं.08 (क्र. 3132) दि. 22.02.2001	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल द्वारा 1997-98 से 2000-2001 की अवधि में भंडार क्रय नियम 14-अ के विरूद्ध शासकीय प्रदाय के वस्त्रों की खरीदी की जांच।	1. यदि इसमें शंका है तो जांच करा लेंगे। 2. जांच करा लेंगे। 3. पालन नहीं किया गया तो जांच करवा लेंगे। जरूर करा लेंगे।	1. आयुक्त महिला एवं बाल विकास द्वारा 1997-98 से 2000-2001 की अवधि में शासकीय प्रदाय के वस्त्र (सिले-सिलाये एवं बिना सिले-सिलाये) भंडार क्रय नियमों के अनुरूप ही क्रय किये गये है। 2. वर्ष 1997-98 में बिना सिले-सिलाये वस्त्रों का क्रय भण्डार क्रय नियम 14(अ) का पालन करते हुये क्रय किया गया था। 3. वर्ष 98-99 में भी बिना सिले-सिलाये वस्त्रों का क्रय भण्डार क्रय नियम 14(अ) के अनुरूप किया गया था। 4. वर्ष 1999-2000 में वस्त्र क्रय का आदेश राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी संघ (रूपमती हेन्डलूम) को दिया गया था। जो कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के परिपत्र क्र. एफ 12-1/99/अ, भोपाल दिनांक 11.2.1999 के बिन्दु क्रमांक 7 के अनुसार वस्त्र प्रदाय अभिकरण है। इस क्रय आदेश की सूचना आयुक्त, हथकरघा भोपाल को दी गई थी। वर्ष 1997-98 से वर्ष 1999-2000 तक बिना सिले-सिलाये वस्त्रों का क्रय किया गया था। जिसके लिये वस्त्रों का क्रय संस्थाओं (राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी) द्वारा निर्धारित दर पर किया जाना था जिसका पालन क्रय के दौरान किया गया। 5. वर्ष 2000-2001 में आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कर्मचारियों के लिये सिले-सिलाये वस्त्र क्रय किये गये थे, यह भण्डार क्रय नियम 14-अ के अंतर्गत न होकर उक्त नियम की कंडिका 14 ब से संबंधित है, जिसका पालन किया गया था। 6. वस्त्रों (सिले-सिलाये तथा बिना सिले-सिलाये) की दरों के विषय में माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप ही आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र क्रमांक- 225, दिनांक 1.9.2001 द्वारा आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्धारित दरों के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त दर पूर्व में क्रय किये गये वस्त्रों के लिये भुगतान किये गये दरों के अनुरूप ही है। 7. वस्त्रों के क्रय के विषय में पूरक तारांकित प्रश्न 5374 अगस्त-सितम्बर 2001 के विधानसभा सत्र के दौरान पूछा गया था जिसमें, उक्त विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जा चुकी है। चूंकि आयुक्त, महिला एवं बाल विकास द्वारा निर्धारित दर्शायी गई अवधि के दौरान वस्त्रों के क्रय में भंडार क्रय नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-5-21/2002/50-1,** **दिनांक 10.06.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
62.	297	अता.प्र.सं.05 (क्र.1323) दि. 22.02.2001	रायसेन जिले में भोजपुर क्षेत्र में कार्यरत परियोजना अधिकारियों के संबंध में।	1. यदि इसमें शंका है तो जांच करवा लेंगे। 2. जांच करा लेंगे। 3. पालन नहीं किया गया तो जांच करवा लेंगे। जरूर करवा लेंगे।	परियोजना अधिकारी ओबेदुल्लागंज के मुख्यालय पर रहना संदिग्ध होने एवं परियोजना अधिकारी के मुख्यालय पर रहने की जांच की जाकर शासन नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी का उल्लेख किया गया था। उक्त संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक 1248, दि. 21.2.2002 द्वारा कलेक्टर रायसेन को लिखा गया। कलेक्टर रायसेन के पत्र दिनांक 26.2.2002 द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज द्वारा जांच की गई एवं प्रमाणित किया कि श्रीमती ललिता श्रीवास्तव, बाल विकास परियोजना अधिकारी ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्र ओबेदुल्लागंज कैम्पस में स्थित शासकीय आवास में निवास करती हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-5/12/200/50-1,** **दिनांक 23.09.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।
63.	299	ता.प्र.सं.09 (क्र.4683) दि. 01.03.2001	जनपद पंचायत पनागर द्वारा माह दिसम्बर 2000 में आंगनबाड़ी के पद पर की गई कथित 22 नियुक्तियों की जांच एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी व अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई।	उसकी जांच करवा लेगें।	जनपद पंचायत पनागर द्वारा की गई आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति की जांच की गई जांच में अनियमितता नहीं पाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-5/32/2001/50-1,** **दिनांक 28.07.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
64.	306	परि.अता.प्र.सं.32 (क्र.3053) दि. 28.02.2001	श्री एल.एल. दुबे, सहा. ग्रेड-2 कार्यालय उपसंचालक कृषि जबलपुर द्वारा एक ही दिनांक में दो-दो बार यात्रा देयक राशि प्राप्त करने एवं यात्रा देयक सत्यापित करने वाले अधिकारी के विरूद्ध जॉच एवं कार्रवाई।	गुणदोष के आधार पर यथोचित दण्ड दिया जाएगा।	(1) संचालनालय कृषि के आदेश क्र. अ-5-सी/1-2001/6003 दि. 01.12.01 द्वारा श्री एल.एल. दुबे, सहायक ग्रेड-2 की पदोन्नति पर 5 वर्ष के लिए रोक लगाई गयी। (2) श्री एस.एस. श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि जबलपुर के गोपनीय चरित्रावली में यह उल्लेख करने का निर्णय लिया गया कि वे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करें। (3) श्री आर.के. ब्यौहार सहायक संचालक कृषि कार्यालय उप संचा.कृ. जबलपुर अधिवार्षिकी आयु पूर्णकर फरवरी 2001 को सेवानिवृत्त हो गये हैं । अत: इनके विरूद्ध कोई कार्रवाई औचित्य पूर्ण नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **ए-8-18/200/14-1,** **दिनांक 29.06.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
65.	314	परि.अता.प्र.सं.59 (क्र.7528) दि. 30.03.2001	अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति, कटनी द्वारा मार्च 2000 से अगस्त 2000 के बीच में दुरभाष के दुरूपयोग की जांच एवं कार्रवाई।	प्रकरण की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	प्रकरण में प्राथमिक जांच कराई जाने के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग स्तर से आरोप पत्र आदि जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया। परीक्षण उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 04/11/04 द्वारा तत्कालीन भारसाधक अधिकारी श्री के.सी. मिश्रा को दोषमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच का प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **डी-10-167-2001/14-3,** **दिनांक 16.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66.	312	अता.प्र.सं 83 (क्र.6433) दि. 23.03.2001	जबलपुर जिले के उद्यान अधीक्षक श्री व्ही.के. चौकसे से कार्यालयीन उपयोग हेतु खरीदी गई सामग्री की जांच एवं कार्रवाई.	जॉच में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।	1. श्री व्ही.के. चौकसे, तत्का. उद्यान अधीक्षक खितौली रोपणी, जिला जबलपुर को आदेश दिनांक 29.10.2000 से चेतावनी देकर प्रकरण समाप्त किया गया। 2. उक्त आदेश के उपरांत श्री चौकसे, के विरूद्ध विभागीय जांच आदेश दिनांक 3.3.2001 से संस्थित की गई। 3. उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध श्री चौकसे के द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका क्र. ओ.ए. 1195/01 दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया। 4. स्थगन आदेश के उपरांत संचालनालय के आदेश दि. 19.01.05 के द्वारा विभागीय जांच निरस्त की जाकर बिन्दु – 01 में उल्लेखित आदेश दिनांक 29.10.2000 यथावत रखा गया है। 5. मान. उच्च न्यायालय ने याचिका क्र. डब्ल्यू.पी. 17163/03 (ओ.ए. 1195/01) को प्रकरण फलहीन होने के कारण आदेश दिनांक 06.10.2010 से खारिज कर दिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 1406/281/2012/58, दिनांक 03.05.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
वन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67.	324	ता.प्र.सं.14 (क्र.4360) दि. 27.02.2001	सागर जिले में उत्तर सागर दक्षिण सागर व नौरादेही सागर वनमंडलों में मुनारों के घटिया निर्माण कार्य की जांच मान. सदस्य की उपस्थिति में करायी जाये।	मा.सदस्य और जांच चाहते हैं तो हम भोपाल से किसी अतिरिक्त प्रमुखों मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को भेजकर जांच करा लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है जांच के समय अगर मान.सदस्य वहां मौजूद रहें।	मा.विधायक महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह ने उनके पत्र दिनांक 12.12.2001 में उल्लेख किया है कि उन्हें विधानसभा प्रश्न क्रमांक 4360 पर निर्मित आश्वासन क्रमांक 324 में उठाये गये मुद्दों का समाधान हो जाने के कारण प्रकरण में उन्हें आगे जांच की आवश्यकता नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-22/72/2001/10/3,** **दिनांक 18.02.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
68.	330	परि.अता.प्र.सं.82 (क्र.6963) दि. 22.03.2001	शिवपुरी जिले के अंतर्गत वनभूमि पर कब्जों के अतिक्रमण के संबंध में दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई।	जानकारी प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाना संभव हो सकेगा।	शिवपुरी जिले में राजस्व भूमि/वनभूमि सीमा विवदा के निराकरण हेतु तैयार की गई योजना के अंतर्गत की गई कार्रवाई में जो भूमिस्वामी अथवा शासकीय पट्टेदार प्रभावित हुए हैं, उन्हें उक्त भूमि राजस्व अधिकारियों में राजस्व विभाग की दर्ज होने के कारण समय-समय पर नियमानुसार वितरित की गई है, अत: उक्त कार्रवाई के लिए कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 22/108/2001/10/3,** **दिनांक 23.12.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
69.	337	ता.प्र.सं.01 (क्र.1027) दि.19.01.2001	देवास जिले में आदिवासी वित्त निगम द्वारा मिनी ट्रक (टाटा मॉडल) क्रय हेतु दी गई राशि से हितग्राही श्री रमेश निवासी ग्राम बिलावली द्वारा टाटा सूमो क्रय करने पर संबंधित शाखा प्रभारी के विरूद्ध कार्रवाई।	उक्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश विभाग की तरफ से दिये जा रहे हैं।	आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर दिए गए हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-4/01/25/2,** **दिनांक 26.02.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70.	358	अता.प्र.सं.14 (क्र.3104) दि. 02.05.2001	शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में ग्रंथपाल के पद पर नियम विरूद्ध श्रीमती प्रज्ञा प्रधान के स्थानांतरण की जांच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	इसलिये इसका परीक्षण करवा लेगें।	श्रीमती प्रज्ञा प्रधान, ग्रंथपाल शासकीय महाविद्यालय, पोरसा जिला-मुरैना का स्थानांतरण पोरसा से शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर में सितम्बर, 2000 में किया गया था। इस कार्रवाई में तत्कालीन अधीक्षक श्री आर.पी. चौरे द्वारा यह गलत जानकारी दी गई थी कि शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के ग्रंथपाल श्री एन.पी. सक्सेना को सेवानिवृत्ति तिथि 30.09.2002 थी। उपरोक्त गलती के लिये श्री चौरे को चेतावनी दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-28/01/1/अड़तीस,** **दिनांक 13.07.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
71.	359	अता.प्र.सं. (क्र.5049) दि. 02.05.2001	रायसेन जिले के महाविद्यालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाना।	समस्त रिक्त पदों की पूर्ति शासन द्वारा नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध हटने के पश्चात की जा सकेगें।	रायसेन जिले के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर निम्नानुसार नियुक्तियां की गई है। (1) वाणिज्य – कु. मोना कौर, शास.बालक महा. रायसेन, ओदश क्र. एफ 1-41/03/1/ अडतीस, दि. 31.03.2004 (2) अंग्रेजी – कु. सरिता कदम, शास. कन्या महाविद्यालय, रायसेन, आदेश क्र. एफ 1/ 42/03/1/अड़तीस, दि. 14.06.2004 (3) भौतिक शास्त्र – कु. शारदा प्रधान शास. महा. रायसेन, आदेश क्र. एफ-1-28/04/1/ अड़तीस, दि. 01.02.2005 (4) शासन के आदेश क्र. एफ-1(40)/05/1/ अड़तीस, दि. 06.07.2005 द्वारा श्री बसंत कुमार श्रीवास्तव को शास.महा. बेगंमगज में प्राचार्य के पद पर पदस्थापना की गई है। साथ ही रायसेन जिले के शास. महाविद्यालयों में अध्यापन की व्यवस्था अतिथि विद्वानों से भी कराई जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-25/01/1/अड़तीस,** **दिनांक 07.07.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72.	361	परि.अता.प्र.सं.07 (क्र.4575) दि. 20.3.2001	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में कापियों के मूल्यांकन में हेराफेरी संबंधी घोटाले की जांच तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना।	जांच समिति का गठन किया गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही निष्कर्ष सूचित किये जाने योग्य होगा।	प्रोफेसर एस.एम. सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी । समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आरोपियों से स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके विरूद्ध आरोपियों ने मा. उच्च न्यायालय की शरण ली । मा.न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई । प्रकरण सी.आई.डी. जांच हेतु विवेचनाधीन है। विश्वविद्यालय से पत्र क्र. एफ 30-9/2004/38-3, दिनांक 4.11.11 द्वारा सीआईडी जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई जिसके संदर्भ में वि.वि. ने अपने पत्र क्र. कु.स./2011/725 दिनांक 22.11.11 द्वारा अवगत कराया है कि जांच के संबंध में सी.आई.डी. द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। यह जांच की सतत प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-30-9/2004/38-3,** **दिनांक 28.10.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
लोक निर्माण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73.	366	ता.प्र.सं.02 (क्र.561) दि. 18.01.2001	दतिया जिला अंतर्गत ग्राम बसई बरधवा मार्ग एवं सवरी में टूटा रपटा तथा मार्ग की मरम्मत के कार्य को पूर्ण किया जाना तथा बसई बरधवा मार्ग रोड की आगामी बजट में शामिल किया जाना।	1. हम प्रभारी मंत्री को इसके लिए पत्र जरूर डालेंगे। 2. हम अपनी तरफ से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेंगे।	दतिया जिला अंतर्गत ग्राम बसई बरधवा मार्ग प्रधानमंत्री योजना में सम्मिलित हो चुका है। ग्राम रावरी में टूटा रपटा की मरम्मत पुन: निर्माण कार्य के प्राक्कलन राशि रू. 7.08 लाख का मुख्य अभियंता उत्तर ग्वालियर के पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। कार्य बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5114/823/2001/19/पो.,** **दिनांक 04.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
74.	367	ता.प्र.सं.03 (क्र.456) दि. 18.01.2001	1. महाराजपुर वि.स.क्षे. अंतर्गत टाउन रोड नुना वनगावरोड का बजट में सम्मिलित किया जाना। 2. हरिजन विशेषांक में लिये गये नुना, मलका पड़वाहा रोडस का निर्माण कार्य शुरू किया जाना। 3. विक्रमपुर और महाराजपुर राजनगर और बछौन तथा मनकारी और उजरा के मार्ग में मिट्टीकरण का कार्य तथा नदी नालों का सुधार।	1. मै उसका परीक्षण करवा लूंगा और यथा संभव जितना हो सकेगा मेटेनेन्स में जितना आवंटन उपलब्ध होता है। 2. चूंकि हरिजन विशेषांश में हमारी प्रायरिटी है आवंटन उपलब्ध रहता है। हम जरूय दिखवा देंगे। 3. जैसी सदस्य सूचना दे रहे है मैं उसकी जानकारी ले लूंगा जितना संभव हो सकता है मैं आपके क्षेत्र में काम कराने का प्रयास करूंगा।	1. महाराजपुर वि.स.क्षे. अंतर्गत टाउन रोड नुना रोड बनगाव रोड वार्षिक मरम्मत के मार्ग है। बनगांव को प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। 2. हरिजन विशेषांश के अंतर्गत नुना, मलका एवं पड़वाहा रोडस द्वितीय श्रेणी सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत किये गये थे, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। गिट्टीकृत मार्ग निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार किये जा रहे है। 3. महाराजपुर विक्रमपुर, राजनगर, बछौन मार्ग एवं मनकारी उजरा मार्ग फेचर बेदर मार्ग है। उक्त मार्ग संख्या 24/5054/नावार्ड वर्ष 01-02 के पुन. बजट में शामिल करने हेतु मु.अ.(उ) लो.नि.वि. ग्वालियर के पत्र दिनांक 26.08.2001 द्वारा प्र.अ. म.प्र. भोपाल को भेजे गये है। स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **168/304/19/यो/2002,** **दिनांक 01.02.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75.	368	ता.प्र.सं.06 (क्र.185) दि. 18.01.2001	1. रीवा जिले बेला से हनुमना नेशनल हाईवे मार्ग पर करीब 105 कि.मी. की रोड की पटरी की अनुमति के ज्यादा कटिंग खुदाई करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई। 2. बिना अनुमति के खोदे गये स्थान की भराई की जाना। 3. तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग क्रं. 1 द्वारा रा.रा. की रोड काटने एवं खुदाई की बिना अधिकार के अनुमति दिये जाने पर कार्रवाई। 4. डामर रोड के किनारे की गई खुदाई की जांच।	1. मेरी रीवा कलेक्टर से चर्चा हुई और उन्होनें मुझे आश्वस्त किया है कि बिना अनुमति से ज्यादा कटिंग की गई है उसके लिये वे सख्त कार्रवाई करेंगे और जो धन राशि निकलती है वह उनसे वसूल करेंगे। 2. हॉ, भराये गये 3. पी.एन.आर. के जो कार्यपालन यंत्री है उनके रा.रा. मार्ग की कटिंग का अधिकार नहीं रहा हैं। यदि ऐसा हुआ होगा तो हम उसकी छानबीन करवायेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करवायेंगे। 4. जी हां।	1. भारत शासन सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली, द्वारा जारी दिशा निर्देशा अनुसार एवं निर्धारित फीस जमा करने के पश्चात रा.रा.क्रं. 7 के कि.मी. 249/8 से 236 = 13.70 कि.मी. (बेला से रीवा तक) में टेलीफोन के बिन लाईन डालने हेतु मुख्य अभियंता रा.रा./आर-2 दि. 05.03.99 द्वारा प्रदान की थी। स्वीकृति अनुसार ही केबिल डालने हेतु खुदाई की गई थी तथा केबिल डालने के बाद सही ढंग से भराई कर दी गई थी। अनुमति से ज्यादा खुदाई नहीं की गई थी। बेला से हनुमना के बीच भारत सरकार के दूर संचार विभाग द्वारा जो टेलीफोन लाईन डाली गई है, उक्त संबंध में दूर संचार विभाग को कोई अनुमति मुख्य अभियंता(रा.रा) द्वारा नहीं दी गई है। किंतु उनके द्वारा जो खुदाई की गई थी उसका विधिवत भराई उनके द्वारा कर दी गई है। 2. जहां जहां केबिन डालने हेतु खुदाई संबंधितों द्वारा की गई थी वहां पर केबिल डालने के तुरन्त बाद ही उनके द्वारा भराई करादी गई है। 3. कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग क्रं. 1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को रोड काटने पटरी काटने एवं खुदाई की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है। 4. रा.रा. मार्ग पर डामर रोड के किनारे कोई खुदाई नहीं की गई हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **859/13/2004/यो/19,** **दिनांक 03.03.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
76.	370	ता.प्र.सं.10 (क्र.26) दि. 18.01.2001	रीवा जिले के एगुआ से बरों और हरदहन से कौनी मार्गों को परीक्षणोपरांत नाबार्ड में शामिल किया जाना।	जो सड़कें शेष हैं उनका पुन: परीक्षण हम करा लेगें और यदि वे नाबार्ड के मापदण्ड में आती है तो उसके लिये हम प्रयास आगे करेंगे।	1. एगुआ से बरों मार्ग को नाबार्ड योजना में लेने हेतु परीक्षण कराया गया तथा पाया गया कि उक्त मार्ग नाबार्ड के मापदण्ड में नहीं आता है। 2. हरदहन से कौनी मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. का कार्य प्रधान मंत्री सडक योजना के अंतर्गत करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **330/3129/19/यो/04,** **दिनांक 16.04.2010**	कोई टिप्पणी नहीं।
77.	371	ता.प्र.सं.12 (क्र.1004) दि. 18.01.2001	लोक निर्माण विभाग में पदस्थ उपयंत्रियों के विरूद्ध विभागीय जांच या लोकायुक्त में जांच चलने एवं 10-15 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ होने पर उनका संभाग परिवर्तन करने की कार्रवाई। 2. लोकायुक्त कार्यालय में लंबित प्रकरणों पर कार्रवाई।	1. इस वर्ष मेरा यह प्रयास रहेगा कि ऐसे लोग जो लंबे समय से एक जगह पर जमे हुए है और जिनका रिकार्ड अच्छा नहीं है उनको हम हटाने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। 2. पांचों में विवेचना जारी है जैसे ही वह पूर्ण होगी और उनकी तरु से शिकायत आयेगी हम तत्काल एक्शन लेंगे।	1. स्थानांतर नीति वर्ष 2005-06 में प्रावधान किया गया है। स्थानांतर नीति के अनुरूप कार्रवाई की जावेगी। 2. श्री अमर अधीक्षण यंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित। श्री डी.के. शुक्ला के विरूद्ध प्रकरण समाप्त किया गया। अन्य के विरूद्ध अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया के अधीन कार्रवाई विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रं –** **एफ 21-282/2000/स्था-19,** **दिनांक 13.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	372	ता.प्र.सं.14 (क्र. 8) दि. 18.01.2001	दीपगांव हरगांव मार्ग के निर्माण हेतु मान. मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में नाबार्ड से स्वीकृत कराकर कार्य को शुरू करने के संबंध में।	हम लोग निश्चित ही आने वाले समय में इस कार्य को लेने का प्रयास करेंगे।	नाबार्ड योजना के अंतर्गत रू. 699.58 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति 13.03.2001 को प्राप्त हुई इसके पश्चात निविदाऐं आमंत्रित कर कार्य प्रारंभ किया गया। 3/03 तक उपरोक्त कार्य पर 390.67 लाख व्यय किये गये है, जिसके तहत निम्नानुसार कार्य किया गया है। 1. गिट्टी कार्य — 18.40 कि.मी 2. मुरूम सबबेस — 8.00 कि.मी 3. डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड -1 — 7.00 कि.मी 4. डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड -2 — 5.00 कि.मी 5. पुलिया — 31 नग 6. रपटे — 13 नग एवम् शेष कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **761/8850/19/यो/2003,** **दिनांक 12.01.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
79.	373	ता.प्र.सं.16 (क्र.661) दि. 18.01.2001	शासन द्वारा बाण्ड जारी कर धनराशि एकत्रित कर सड़कों को बनाने की योजना का क्रियान्वयन।	बाकी सड़कों के ऊपर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद कार्रवाई करेंगे।	13 मार्गों पर बाण्ड/बीओटी योजना के अंतर्गत कार्य किया जाना प्रस्तावित था। वर्तमान में इंदौर, सनावद, बुरहानपुर, एदलाबाद मार्ग, होशंगाबाद, हरदा, खण्डवा मार्ग में 80 कि.मी. रीवा अमरकंटक मार्ग में 165 कि.मी. एवं सतना उमरिया मार्ग में 35 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो गया है और इन पर टोल टैक्स वसूली चालू है। शेष मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **5108/6393/19/यो/04,** **दिनांक 28.10.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
80.	374	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.605) दि.18.01.2001	ग्वालियर के संभागीय कार्यालयों में वित्तीय सीमा से अधिक अधिकारियों द्वारा की गयी सप्लाई का परीक्षण कार्य पूर्ण किया जाना।	शीघ्रातिशीघ्र परीक्षण की कार्रवाई पूर्ण कर ली जावेगी।	प्रकरण में जांच मुख्य अभियंता (उत्तर) परिक्षेत्र ग्वालियर कार्यालय में संलग्न कार्यपालन यंत्री श्री डी.सी. श्रीवास्तव से कराई गई। परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कार्यपालन यंत्री संभाग क्र. 2 ग्वालियर द्वारा सप्लाई सामग्री का क्रय नियमानुसार नहीं पाया गया । प्रतिवेदन का परीक्षण एवं कार्रवाई करने हेतु मुख्य अभियंता (उत्तर परि.) ग्वालियर को निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-1-11/2001/बी/19,** **दिनांक 13.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
81.	375	अता.प्र.सं.25 (क्र.776) दि. 18.01.2001	उज्जैन संभाग में वर्ष 1992 के सिंहस्थ के हरिफाटक ओव्हर ब्रिज के निर्माण में दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच कार्य पूर्ण होने के उपरांत निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा।	मुख्य तकनीकी परीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 17-44/95/स्था-19, दिनांक 06.07.2001 द्वारा दोषी अधिकारियों को आरोप पत्रादि जारी तथा आदेश दिनांक 09.10.2001 द्वारा प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-21/285/2000/स्था/19,** **दिनांक 10.11.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
82.	379	अता.प्र.सं.38 (क्र.973) दि. 18.01.2001	बालाघाट जिले के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी लांजी के रिक्त पदों की पूर्ति।	यथाशीघ्र पदों की पूर्ति की जा सकेगी।	मान.न्यायालय का स्थगन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी थी। स्थगन समाप्त होने पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदों की पूर्ति की जावेगी। वर्तमान में प्रभार देकर पद की पूर्ति की गई है। **विभागीय पत्र क्रं. –** **3475/5617/2012/स्था./19,** **दिनांक 22.07.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
83.	380	ता.प्र.सं.05 (क्र.23) दि. 02.03.2001	सिरमौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बीहर नदी में पुल निम्रारण के कार्य को बजट में शामिल किया जाना।	हम इसकी बजट में शामिल करवाने की कार्रवाई करेंगे।	यह कार्य वर्ष 02-03 के द्वितीय अनूपुरक बजट में सम्मिलित किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **845/7923/2004/यो/19,** **दिनांक 14.02.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
84.	381	ता.प्र.सं.09 (क्र.4700) दि. 02.03.2001	निर्माण कार्य के भुगतान पर प्रतिबंध के बावजूद उत्तर परिक्षेत्र के संभाग भिण्ड में ठेकेदारों के बिलों का भुगतान करने वाले दोषी कार्यपालन यंत्री एवं एकाउटेंड के विरूद्ध जांच तथा कार्रवाई।	इस बात से आश्वास्त करता हूं कि यदि उसने गलत कार्य किया होगा तो उसे बख्शी नहीं जायेगी।	प्रकरण में राज्य शासन द्वारा श्री अवधेश कुमार वर्मा, कार्यपालन यंत्री, भिण्ड को तत्काल निलंबित किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में श्री वर्मा के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। आदेश क्र. 17/9/01/स्था/19, दिनांक 29.10.2001 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त/जांच प्रतिवेदन प्राप्त परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-1-64/2001/बी/19,** **दिनांक 17.07.2003**	परिशिष्ट – 1 के अनुसार
85.	384	अता.प्र.सं.01 (क्र.445) दि. 02.03.2001	लोक निर्माण विभाग रा.रा. परिक्षेत्र में वर्ष 88 से पूर्व पदस्थ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण।	रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार परीक्षण कर पात्रतानुसार निर्णय लिया जा सकेगा।	दि. 31.12.88 के पूर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का अभी नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विभागीय अमले में कमी किये जोन के उपरांत स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत है। अत: स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मचारियों के समायोजन पश्चात भविष्य में रिक्त पद उपलब्ध होने पर दि. 31.12.88 के पूर्व के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर नियमानुसार परीक्षण कर पात्रता होने पर विचार किया जा सकेगा। इसके लिये कोई समय-सीमा का निर्धारण संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21/9/2001/स्था./19,** **दिनांक 24.11.2001**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
86.	385	अता.प्र.सं.15 (क्र.3112) दि. 02.03.2001	कोतमा से निगवानी मार्ग की डामरीकरण किया जाना।	परीक्षण उपरांत बताना संभव होगा।	कोतमा निगवानी सारंगगढ़ लंबाई 15.00 कि.मी. का डामरीकरण का कार्य आर.आई.डी.एफ. के 10वें चरण के अंतर्गत मुख्य अभियंता रीवा परि. रीवा द्वारा प्रमुख अभियंता सतपुड़ा भवन भोपाल को दिनांक 23.09.2004 को प्रेषित किया गया है। अनु. लागत रूपये 130.00 लाख है। प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **3832/4024/19/यो/2005, दिनांक 16.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
87.	388	अता.प्र.सं.03 (क्र.144) दि. 23.02.2001	लोक निर्माण विभाग में समय वालो अथवा कार्यभारित फील्ड स्टाप का कार्यालय में संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश की भिण्ड, लहार, ग्वालियर, दतिया, मुरैना तथा श्योपुर में अवमानना।	परीक्षणोपरांत ही बताया जा सकेगा।	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार संलग्नीकरण की प्रथा समाप्त की गई है। यदाकदा कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रख कार्य लिया जाता है। निर्देशों का पालन सख्ती से कराया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-81/2005/स्था./19,** **दिनांक 13.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
88.	389	परि.अता.प्र.सं.14 (क्र. 145) दि. 23.02.2001	लोक निर्माण विभाग ग्वालियर के अंतर्गत नियम विरूद्ध अनुकंपा नियुक्तियों की जांच।	परीक्षणोपरांत ही बताया जा सकेगा।	उल्लेखित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का परीक्षण किया गया। शासन द्वारा वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एल-17/1/2000/बी/7/चार, दिनांक 14.01.2000 से समस्त प्रकार की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। उपरोक्त आदेश उत्तर परिक्षेत्र, ग्वालियर में दिनांक 31.01.2000 को प्राप्त हुआ था, आदेश प्राप्त होने के पूर्व ही कार्यालयीन आदेश क्रमांक उत्तर/स्था/102/का.भा./ आन./एक/2000/508-509 दिनांक 17.01.2000 से श्रीमती ममता चौहान तथा कार्यपालन यंत्री, विद्युत यांत्रिकी, ग्वालियर द्वारा उनके आदेश क्रमांक 266-267 दिनांक 19.01.2000 से श्रीमती राममूर्ति को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। चूंकि अनुकंपा नियुक्ति दिनांक को प्रतिबंधात्मक आदेश अप्राप्त थे अत: उपरोक्त नियुक्तियां की गई इस कारण कोई अधिकारी उपरोक्त आदेशों के पालन न करने हेतु दोषी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-7/2001/स्था./19,** **दिनांक 06.04.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
89.	391	परि.अता.प्र.सं.45 (क्र.3913) दि. 23.02.2001	इंदौर जिला अंतर्गत सिपवरा मार्ग/मांग संख्या 64 के निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ कराया जाना है।	स्वीकृति उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना संभव होगा।	गिट्टीकृत मार्गो के डामरीकरण कार्य में मांग संख्या-64 स्वीकृति दी थी परंतु इस स्वीकृति में पुल/पुलियां एवं मार्ग का कुछ भाग छूटा हुआ होने से मुख्य अभियंता द्वारा कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि रूपये 136.00 लाख का नाबार्ड से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया परंतु यह ग्रामीण मार्ग होने से प्रस्ताव स्वीकृत ना हो सका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-1-57/2001/बी/19,** **दिनांक 13.05.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
90.	392	परि.अता.प्र.सं.63 (क्र.4488) दि. 23.02.2001	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र. 1 जबलपुर द्वारा शासन को लाखों रूपयों की क्षति पहुंचाने संबंधी शिकायत की जांच एवं कार्रवाई।	जांचोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी।	शिकायत की जांच की गई। जांच उपरांत शिकायत निराधार पाई गई। (शिकायतकर्ता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा यह शिकायत नहीं की गई है)। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-42/2001/स्था/19,** **दिनांक 26.11.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
91.	393	अता.प्र.सं.35 (क्र.3904) दि. 23.02.2001	लो.नि.वि. संभाग श्योपुर के अंतर्गत ठेकेदारों/सप्लायरों से इनकम टैक्स व कमर्शियल टैक्स की राशि बिना काटे भुगतान करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	परीक्षणोपरांत दोषी पाये जाने वाले के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी। परीक्षणोपरांत कार्रवाई की जाना संभव है।	कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. संभाग श्योपुरकला के अनियमित रूप से भुगतान करने वाले 6 अधिकारियों के विरूद्ध आरोप पत्रादि शासन को प्राप्त हुये है। जिन पर परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 1-53/2001/बी/19,** **दिनांक 18.08.2003** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 9729/वि.स./ आश्वा./2010, दिनांक 11.05.2010 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***लोक निर्माण विभाग संभाग श्योपुर के अंतर्गत ठेकेदारों/सप्लायरों से इन्कमटैक्स व कमर्शियल टैक्स की राशि बिना काटे भुगतान करने वालों के विरूद्ध जांच व कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
92.	394	अता.प्र.सं. (क्र.5549) दि. 20.03.2001	तहसील करेली जिला नरसिंहपुर रा.रा.नं. 12 पर ठेकेदार श्री अभय मिश्रा द्वारा मजदूरों को कम मजदूरी दी जाने की जांच।	जांच उपरांत ही बताया जा सकेगा।	प्रकरण में प्रमुख अभियंता/कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर से प्रतिवेदन अपेक्षित। प्रतिवेदन अनुसार कार्रवाई की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-79/05/स्था./19,** **दिनांक 13.05.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 9729/वि.स./ आश्वा./2010, दिनांक 11.05.2010 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***तहसील करेली जिला नरसिंहपुर से प्रतिवेदन अपेक्षित की स्थिति प्रतिवेदन अनुसार जांच व कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
93.	395	अता.प्र.सं. (क्र.1508) दि. 20.03.2001	लो.नि.वि. संभाग भिण्ड में विगत तीन वर्षों से समयावधि समाप्त होने के बाद सामग्री प्राप्त कर कार्य कराने, निर्धारित समयावधि के बाद विलंब से देयक प्रस्तुत करने एवं भुगतानकर्ता द्वारा कार्य की बगैर जांच किए देयकों के भुगतान के लिए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई।	परीक्षणोपरांत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना संभव होगा।	प्रकरण में प्रमुख अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भिण्ड से प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-79/05/स्था/19,** **दिनांक 13.05.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 9729/वि.स./ आश्वा./2010, दिनांक 11.05.2010 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***प्रमुख अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री भिण्ड से लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड से अपेक्षित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
94.	396	ता.प्र.सं.02 (क्र.6730) दि. 23.03.2001	भोपाल सिरोंज मार्ग में बैरसिया से माहनीमा चौराहा एवं भोपाल बैरसिया मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़को का दुरूस्तीकरण।	क्षतिग्रस्त सड़के अन्य एजेंसी द्वारा दुरूस्त कराई जावेगी।	1. बैरसिया सिरोंज मार्ग के कि.मी. 1 से 7 में चौड़ीकरण का अपूर्ण कार्य पूर्व ठेकेदार से वापस लेकर पुन: दूसरे ठेकेदार को कार्य आवंटित कर दिनांक 14.11.2002 को कार्य पूर्ण करा दिया गया है। 2. बैरसिया सिरोंज मार्ग के कि.मी 8 से 15/4 का चौड़ीकरण का कार्य पूर्व ठेकेदार से वापस लेकर दूसरे ठेकेदार से दिनांक 24.03.2002 को पूर्ण करवा लिया गया है। 3. बैरसिया सिरोंज मार्ग के कि.मी. 1 से 18 तक का पेच रिपेयर का कार्य पूर्ण करवा दिया गया था। 4. बैरसिया भोपाल मार्ग के कि.मी. 20/8 से 23, 24 से 26 व 36 से 40 क्रेशर स्टोन डस्ट एकत्रिकरण कर व उपरोक्त कि.मी. में पटरी भराई का कार्य पूर्ण करवा दिया गया था। साथ ही कि.मी. 20/8 से कि.मी. 42 तक के पेंच रिपेयर का कार्य पूर्ण करवा दिया गया था। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7080/19/यो/04,** **दिनांक 03.01.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
95.	397	अता.प्र.सं. (क्र.7073) दि. 27.03.2001	राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग लो.नि.वि. भोपाल में कार्यरत नि.श्रे.लि. आर.के. श्रीवास्तव द्वारा शासकीय आवास क्र. 7, तुलसी नगर का व्यवसायिक उपयोग करने एवं बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराये जाने की जांच और कार्रवाई।	1. व्यवसायिक उपयोग के संबंध में जांच उपरांत ही बताया जाना संभव हो सकेगा। 2. जांच उपरांत ही बताया जा सकेगा।	प्रकरण की जांच अनुविभागीय अधिकारी से कराई गई। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवास का व्यवसायिक उपयोग न कर दूसरों के घर-घर जाकर ब्यूटी पालैर का कार्य किया जाता है। अत: आवास का व्यवसायिक उपयोग किया जाना नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-9/2001/सा.19,** **दिनांक 31.05.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
96.	398	अता.प्र.सं. (क्र.7074) दि. 27.03.2001	श्री आर.के. श्रीवास्तव नि.श्रे.लि.रा.रा. उप संभाग लो.नि.वि. द्वारा तुलसी नगर में आवंटित एफ-7 का व्यवसायिक उपयोग करने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई एवं अनियमितता पर कार्रवाई न करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना।	जांच उपरांत ही बताया जा सकेगा।	उक्त आवास का रखरखाव अनुरक्षण उप संभाग क्र-1 भोपाल के अंतर्गत आता है। अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उल्लेखित आवास में किसी तरह का कोई अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं कराया गया है एवं न ही कोई अतिरिक्त कार्य करने हेतु अनुमति दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-9/2001/सा.19,** **दिनांक 31.05.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।
97.	400	अता.प्र.सं.30 (क्र.6925) दि. 27.03.2001	एस.के. पाठक, उपयंत्री, लो.नि.वि. संभाग क्र.-2 बालाघाट सेक्शन से हटाया जाना एवं उपयंत्री के विरूद्ध अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्रवाई।	जांचोपरांत ही बताया जा सकेगा।	श्री एस.के.पाठक उपयंत्री का स्थानांतरण दिनांक 15.06.2000 को किया गया है, जबकि इनके विरूद्ध शिकायत कार्यपालन यंत्री को दि. 22.07.2000 को प्राप्त हुई है। शिकायत विभागीय एवं वन विभाग की संयुक्त रूप से है। जांच प्रतिवेदन परीक्षणोपरांत ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 21-69/2001/स्था./19,** **दिनांक 13.05.2005**	परिशिष्ट – 1 के अनुसार
98.	402	ता.प्र.सं.10 (क्र.3492) दि. 10.04.2001	सिवनी संभाग में आई.टी.आई. भवन निर्माण में शासन से प्राप्त राशि से अधिक भुगतान करने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई।	परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाना संभव होगी।	शासन के पत्र क्र. एफ-17-45/02/स्था 19 के अंतर्गत वर्ष 97-98, 98-99, 99-2000 में आवंटन से 10 प्रतिशत अधिक व्यय करने वाले 30 अधिकारियों में से कुछ अधिकारी एक से अधिक संभागों में कार्यरत रहने के कारण विभागीय समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 31.10.02 एवं 20.11.02 द्वारा 16 अधिकारियों के विरूद्ध आरोप-पत्रादि जारी किये गये। श्री डी.के. जैन, का.यं. छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत होने से विभागीय पत्र दिनांक 31.10.02 द्वारा आरोप पत्र छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित किये गये। कुछ अधिकारी से.नि. हो जाने के कारण प्रारूप आरोप-पत्रादि पेंशन नियम के तहत प्रेषित किये गये प्रकरण में सिवनी संभाग भी समाहित था जिस पर आश्वासन उदभुत हुआ है। अत: शासन के पत्र दिनांक 15.2.12 द्वारा सरल क्रमांक 1 से 16 तक के अधिकारियों के विरूद्ध प्रकरण बिना किसी दण्ड एवं चेतावनी के समाप्त किया गया है **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-1-51/2001/बी/19/ 982,** **दिनांक 26.09.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
99.	403	अता.प्र.सं.49 (क्र.2157) दि. 10.04.2001	पचमढ़ी स्थित सर्किट हाऊस को बिजली बिल की बकाया राशि जमा कर बिजली की आपूर्ति की जाना।	यथाशीघ्र।	पचमढ़ी स्थित विश्राम भवनों एवं विश्राम गृहों के बिजली बिलों की समस्त राशि जमा कर दी गई है। यह भुगतान कार्यपालन यंत्री संभाग होशंगाबाद द्वारा चैक क्र. 197957/001980 दिनांक 28.09.01 एवं चेक क्र. 198916/001/496 दि. 13.12.01 के द्वारा किया गया है। वर्तमान में भुगतान हेतु कोई भी बकाया राशि जमा करना शेष नहीं है। वर्तमान में किसी भी विश्राम गृह/भवन में बिजली प्रदाय बंद नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 18-4/2001/सा-19,** **दिनांक 05.04.2004**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
100.	404	परि.अता.प्र.सं.61 (क्र.2422) दि. 10.04.2001	इंदौर के सांवरे से बरलाई मार्ग का पुन: निर्माण मरम्मत कराई जाना।	पुन: निर्माण/मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जावेगा।	इंदौर जिले में सांवेर से बरलाई मार्ग लं. 17.45 कि.मी. का भाग सांवेर-क्षिप्रा मार्ग ल. 20.00 के अंतर्गत आता है। सांवेर-क्षिप्रा मार्ग लंबाई 20.00 कि.मी. के चौडीकरण मजबूतीकरण हेतु स्वीकृति रू. 383.24 लाख की भारत सरकार परिवहन एवं हाइवे सड़क मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 04.01.2001 से केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत प्राप्त हुई स्वीकृति अनुसार मार्ग का कार्य पूर्ण हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **7645/8992/यो/19,** **दिनांक 09.10.2007**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
सहकारिता विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101.	405	ता.प्र.सं. (क्र.573) दि. 16.01.2001	1. सीधी जिले में स्थापित सेवा सहकारी समितियों में हुए गबन के दोषियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाना। 2. को-ऑपरेटिव्ह बैंक और भूमि विकास बैंक में हुई अनियमितताओं की जांच तथा जांच में विलंब करने वाले दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई। 3. अनियमितताओं की जांच हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित करने के संबंध में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिया जाना। 4. जिले के महाप्रबंधकों के विरूद्ध कार्रवाई। 5. प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के विरूद्ध कार्रवाई।	1. दो महिने के अंदर संपूर्ण जांच करके जो दोषी लोग है उनके विरूद्ध पुलिस एफ.आई.आर. संपूर्ण कागजात सहित दर्ज करेगी और कार्रवाई कर दी जायेगी। 2. जो भी संबंधित बैंक के मैनेजर रहे होंगे उनकी भी हम जांच करवायेंगे कि उन्होंने इतनी लापरवाही क्यों बरती और विभाग के अधिकारियों ने भी यदि देरी की है तो उनके खिलाफ भी जांच करवा के अगर दोषी पाये जायेंगे तो उनके विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई ही करेंगे। 3. हम बैठक आयोजित करवायेंगे और समय पर निर्देश हम दोबारा जारी कर देंगे।	बैंक से सम्बद्ध सेवा सहकारी समितियों में 112 प्रकरणों में से 3 व्यक्तियों के विरूद्ध दिनांक 01.04.2005 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है तथा 17 प्रकरण पुलिस अन्वेषण में हैं। शेष प्रकरणों में परीक्षणोपरांत एफ.आई.आर दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी। गबन के दोषी 94 विक्रेताओं एवं दोषी 10 समिति प्रबंधकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। 112 प्रकरणों में धारा 64 में अवार्ड दायर किये गये है। 02 समिति प्रकरणों से पूर्ण वसूली रूपये 1.69 लाख की हो चुकी है। 02 समिति प्रबंधक सेवानिवृत्त हो गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-16/2001/पन्द्रह-1,** **दिनांक 20.09.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 18457/वि.स./आश्वा./ 2007, दिनांक 20.08.2007 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***शेष बचे प्रकरणों में कार्रवाई एवं वसूली की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102.	407 एवं 408 एकजाई	ता.प्र.सं.17 (क्र.98) दि. 16.01.2001	जिला सहकारी बैंक मर्यादित सतना में कीटनाशक दवाईयों की खरीदी में अनियमितता के दोषी महाप्रबंधक श्री एस.बी. सिद्दीकी के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई।	1. जैसे ही विस्तृत रिपोर्ट आ जायेगी उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। श्री सिद्दीकी पर 68 बी के तहत वसूली की कार्रवाई की गई है। जांच प्रतिवेदन से यदि बिन्दु स्पष्ट हो जाता है तो सिद्दीकी के साथ ही और भी जो लोग इस खरीदी में इन्वाल्व होगें उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2. मैं आश्वास्त करता हूँ कि एक महिने के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मंगवा लेंगे और आडिट रिपोर्ट में यदि सिद्दीकी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ और यदि और भी बचे होंगे और दोषी पाये जायेंगें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे । धारा-64 बी में वसूली करेगे धारा 68 बी में तो वसूली करेगे ही अगर दोषी पाये गये है अगर गंभीर बात होगी तो पुलिस में भी केस फाईल करेंगे।	विस्तृत रिपोर्ट 30.10.2001 को प्राप्त हुई है, इस प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न समितियों की राशि दुर्विनियोग के लिये 12 प्रकरणों में कुल 19 कर्मचारियों को रू. 2,40,925/- की अनियमितता के प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाया गया है। अत: इनके विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा-58 बी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं रीवा द्वारा राशि की वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इस प्रतिवेदन से प्रश्नांकित राशि के दुर्विनियोग के लिये श्री सिद्दीकी महाप्रबंधक को जिम्मेदार नहीं पाया गया है। म.प्र. राज्य सहकारी बैंक द्वारा उक्त प्रकरण में तत्कालीन प्रबंधक श्री सिद्दीकी को पर्यवेक्षण में उदासीनता के लिये प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है तद्नुसार अपेक्स बैंक द्वारा श्री सिद्दीकी के विरूद्ध सेवा नियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 27.11.2000 को विभागीय जांच संस्थापित की गई है। जांच प्रचलित है। मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम की की धारा-58 बी के तहत वसूली की कार्रवाई एवं सेवा नियमों के अंतर्गत विभागीय जांच की कार्रवाई (दोनों) अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-16/2001/पन्द्रह-1,** **दिनांक 20.09.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 18457/वि.स./ आश्वा./2007, दिनांक 20.08.2007 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***प्रकरण जिला सहकारी बैंक मर्या. सतना में कीटनाशक दवाईयों की खरीदी में अनियमितता के दोषी महाप्रबंधक श्री एस.बी. सिद्दीकी के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
103.	413	ता.प्र.सं.11 (क्र.3535) दि. 28.02.2001	सीधी जिले में स्थिति जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित एवं इसकी शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज की वसूली।	1. जहां तक वसूली की बात है तो 15 मार्च तक जिन सेल्समेनों ने गलती की है उनसे रिकवरी करने के निर्देश जारी कर दिये हैं और अगर 15 मार्च तक ब्रांच मैनेजरों ने कार्रवाई नहीं की तो हम उनके विरूद्ध कार्रवाई करेंगे। 2. उन पर भी शीघ्र कार्रवाई होगी हम किसी गबन खोर या भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ेंगे नहीं उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई कर रहे है उन्हें बचाने का प्रयास नहीं कर रहे है और 15 मार्च तक वहां के बैंक मैनेजर ने अगर पुलिस में प्रकरण दर्ज नहीं कराया तो उनके विरूद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे और वहां के डिप्टी रजिस्टार (को-आपरेटिव्ह) के विरूद्ध भी अनुकूल कार्रवाई की जायेगी।	आश्वासन क्रमांक 413 में 242 व्यक्ति दोषी पाये गये है। इनमें से 32 लोगों से 9.62 लाख की पूर्ण वसूली हो गई है। 12 लोगों से रूपये 3.86 लाख की आंशिक वसूली हो गई है। गबन के दोषी 22 समिति प्रबंधक/लैम्पस प्रबंधक/पर्यवेक्षकों तथा 159 विक्रेताओं की सेवायें समाप्त हो गई है। 242 प्रकरणों को धारा-64 में दायर किया गया है। 3 प्रकरणों को दिनांक 01.04.2005 को पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है। 17 प्रकरणों में पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक–** **एफ-10-126/2001/पन्द्रह-1,** **दिनांक 05.09.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 18456/वि.स./ आश्वा./2007, दिनांक 20.08.2007 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई :- ***सीधी जिले में स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित एवं इसकी शाखाओं द्वारा दिये गये ऋण पर ब्याज की वसूली एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार
104.	415	ता.प्र.सं.21 (क्र.5473) दि. 05.03.2001	जिला जबलपुर में पदस्थ संयुक्त पंजीयक श्री एल.एन. खाती के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाना।	पंजीयक से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र के परीक्षण उपरांत कार्रवाई की जावेगी।	जॉच प्रतिवेदन तथा उस पर पंजीयक के अभिमत का परीक्षण करने के उपरांत प्रत्युत्तर समाधानकारक पाये जाने के फलस्वरूप श्री एल.एन. खाती, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं को विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(ए) 11/2001/15-दो, दिनांक 31.5.2004 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र शासन द्वारा दिनांक 01.02.2009 को निरस्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-15/2001/15-2,** **दिनांक 24.02.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
105.	419	ता.प्र.सं.13 (क्र.5383) दि. 08.03.2001	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीधी एवं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पदाधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच एवं सोनभद्र खांडसारी समिति के विरूद्ध मामला दर्ज कराना तथा सीधी में कृषकों से शेयर के रूप में जमा राशि का अध्यक्ष द्वारा गबन किए जाने पर कार्रवाई।	1. 15 मार्च 2001 तक सभी के विरूद्ध मामले दर्ज कराने की कार्रवाई करेंगे मैंने अंतिम तिथि दे दी है। 2. परीक्षण करा लेंगे और दोषी पाए जाएगें तो मामला दर्ज कराएंगे। 3. इस पर आज ही निर्देश रजिस्ट्रार को जारी कर रहा हूँ। 4. यह परिसमापन में है हम कार्रवाई करेंगे और संपत्ति को सुरक्षित करने की कार्रवाई करेंगे। जरूर करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे।	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सीधी द्वारा धारा 64 में वाद दायर किये गये हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक–** **एफ-10-119/2001/पन्द्रह-1,** **दिनांक 05.09.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 1477/वि.स./ आश्वा./2010, दिनांक 31.01.2010 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***जांच में उत्तरदायित्व निर्धारण के उपरांत दोषी के विरूद्ध कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
106.	423	ता.प्र.सं.05 (क्र. 7818) दि. 30.03.2001	सिंधी साहिती मल्टी-पर्पज ट्रांसपोर्ट सोसायटी के द्वारा सहकारिता विभाग की अनुमति के बगैर सम्पत्ति के विक्रय करने के संबंध में संचालक मंडल एवं सचिव के विरूद्ध कार्रवाई।	जांच में उत्तरदायित्व निर्धारण के उपरांत दोषी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।	धारा-53 (1) के अंतर्गत प्रबंध समिति को पंजीयक के आदेश क्रमांक विधि/2002/3098 दिनांक 14.08.2002 के द्वारा अधिग्रहित कर श्री ज्ञानचन्द्र पाण्डे सहकारी निरीक्षक को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-10-248/2001/15-1,** **दिनांक 29.11.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 18455/वि.स./ आश्वा./2007, दिनांक 20.08.2007 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***जांच में उत्तरदायित्व निर्धारण के उपरांत दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
107.	433	परि.अता.प्र.सं.04 (क्र.188) दि. 17.01.2001	रीवा जिले में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना पिपराही जिला रीवा अंतर्गत हैण्डपंप हेतु राशि प्रदाय की जाना।	योजना परीक्षणाधीन है।	रीवा जिले की आदिवासी विकास परियोजना पिपराही में विकास खण्ड मऊगंज के 22 एवं विकास खण्ड हनुमना के 27 ग्राम (कुल 49 ग्राम) सम्मिलित थे । एकीकृत आदिवासी परियोजना पिपराही के 49 ग्रामों की 132 बसाहटों हेतु योजना बनाई गई थी । प्रस्तावित योजना में बसाहटों में हैण्डपंप स्थापना करने का ही प्रावधान था। यह कार्य विभाग के ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत समान्य रूप से किये जाते हैं। वर्तमान स्थिति में सभी ग्रामों/बसाहटों में निर्धारित मापदण्डानुसार 40 लीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-13-293/2004/2/34, दिनांक 14.05.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।
108.	438	परि.अता.प्र.सं. 82 (क्र.4311) दि. 22.02.2001	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना खंड कटनी द्वारा वर्ष 98-99 में ग्रामीण जलप्रदाय योजना हेतु नलकूपों की मरम्मत में विभिन्न निविदा आमंत्रण न कर राशि व्यय किये जाने की जांच एवं कार्रवाई।	कार्यपालन यंत्री कटनी से प्रतिवेदन आने पर यथोचित कार्रवाई की जावेगी।	जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत आदेश क्रं. एफ 5-14/02/1/34, दिनांक 24.1.2012 द्वारा श्री जे.एस. बघेल, सहायक यंत्री (सेवानिवृत्त) को 15 प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से रोकने के दण्डादेश जारी किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 307/47/2013/1/34, दिनांक 18.01.2013**	कोई टिप्पणी नहीं।
109.	443	परि.अता.प्र.सं. 69 (क्र. 6456) दि. 19.03.2001	सीहोर जिले के ग्राम भाउखेडी में पानी की टंकी के निर्माण हेतु राशि का आवंटन।	आवर्धन योजना स्वीकृत होने एवं आवंटन उपलब्ध होने पर कार्य किया जावेगा. राशि की जानकारी भी स्वीकृति पश्चात् ही दी जा सकेगी।	ग्राम भाऊखेडी की जल प्रदाय योजना के अंतर्गत टंकी निर्माण हेतु रू. 13.80 लाख की स्वीकृति जिला योजना समिति की बैठक में प्राप्त कर टंकी निर्माण का कार्य पूर्ण कर टंकी से राईजिंग मेन एवं वितरण प्रणाली को जोडकर टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर टंकी के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-13/293/2004/2/34, दिनांक 14.05.2009**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110.	446	अता.प्र.सं. 31 (क्र.1764) दि. 09.04.2001	रीवा जिले की नई गढी नगर पंचायत में टंकी का निर्माण।	योजना की स्वीकृति उपरांत टंकी का निर्माण किया जा सकेगा।	नई गढी नगर की जल प्रदाय योजना भारत शासन के गतिवर्धित शहरी जल प्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत लागत रू. 117.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दिनांक 19.1.06 को प्रदान की गई है। उक्त योजना में प्रस्तावित टंकी निर्माण का कार्य 15.6.08 को पूर्ण किया जा चुका है एवं उसकी टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-13-293/2004/2/34,** **दिनांक 18.08.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
सामान्य प्रशासन विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
111.	450	परि.अता.प्र.सं.05 (क्र.1575) दि. 23.03.2001	लोकायुक्त कार्यालय के पत्र क्रं. 1920 जा.प्र. 769-97 दि. 12.7.99 द्वारा विभागीय जांच के दिए गए निर्णय पर कार्रवाई.	अभी प्रकरण में कार्रवाई प्रचलित है कार्रवाई पूर्ण होने पर ही अग्रिम कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।	श्री आर.सी. शर्मा खाद्य निरीक्षक ग्वालियर के अपील प्रकरण के पुनर्विलोकन के लिये श्री शर्मा को दि. 26.2.2001 को कारण बताओ सूचना जारी की गई। उक्त सूचना के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा राज्य प्रशासनिक अधिकरण में दायर याचिका क्रमांक 214/2001 पर माननीय न्यायालय द्वारा दि. 29.3.2001 को स्थगन दिया गया है। उक्त याचिका के संबंध में प्रभारी अधिकारी द्वारा जवाबदाता मा.न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अत: निराकरण हेतु निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक – 6137/3766/2011/सत्रह/ मेडि-1, दिनांक 25.08.2011**	कोई टिप्पणी नहीं।
112.	453	अता.प्र.सं.35 (क्र.5575) दि. 23.03.2001	पांचवें वेतनमान की अनुशंसाओं का लाभ देने हेतु गठित ब्रम्हस्वरूप समिति की प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू किया जाना।	समग्र रूप से परीक्षण उपरांत ही निर्णय लिया जायेगा जिसमें समय लगने की संभावना है।	ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं का मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समग्र रूप से परीक्षण उपरांत राज्य शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को आदेश जारी कर दिये गये हैं। पुनरीक्षित वेतनमानों का लाभ दिनांक 1.4.2006 से दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-2-5/1/पीसीसी/ 2001, दिनांक 24.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
113.	455	परि.अता.प्र.सं.60 (क्र.7540) दि. 30.03.2001	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो भोपाल द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रकरणों पर कार्रवाई।	चूंकि 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति अपेक्षित है उक्त स्वीकृति प्राप्त होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जावेगी।	1. अप.क्रं. 139/97 में दि. 28.8.01 में न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा मा.उच्च न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत की गई, जिसके निर्णय दिनांक 17.9.02 द्वारा आरोपी को उन्मुक्त किया गया। लोकायुक्त संगठन में दिनांक 28.7.2003 को प्रकरण समाप्त किया गया। 2. अप.क्रं. 145/97 में दि. 10.7.2003 को विशेष न्यायालय में खात्मा प्रस्तुत किया गया तथा दि. 10.7.2003 को न्यायालय द्वारा खात्मा स्वीकृत किया। प्रकरण लोकायुक्त संगठन में दि. 23.7.2003 को समाप्त किया गया। शासन द्वारा दोनो प्रकरणों में कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है एवं प्रकरण समाप्त हो गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक – एफ-18(23)/2001/1-10, दिनांक 22.12.2003**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
114.	305	ता.प्र.सं.13 (क्र.1998) दि. 20.02.2001	जिला होशंगाबाद अंतर्गत वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को आंवटित विभागीय आवासों को रिक्त कराकर भौतिक रूप से आधिपत्य किया जाना।	1. नियमानुसार यथासंभव शीघ्र। 2. मैं जिलाधीश को निर्देश दे दूंगा कि वह सख्ती से जल्दी वसूली कर लिए जाय।	शासन के प्रावधान अनुसार पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत होशंगाबाद पं. भवानीशंकर शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात आवंटित शासकीय आवासगृह तत्कालीन अध्यक्ष जिला पंचायत होशंगाबाद श्रीमती योजनगंधा एवं तदनुसार उनके कार्यकाल समाप्ति पश्चात नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला पंचायत होशंगाबाद माननीय श्री कुशल कुमार पटेल को कार्या. आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 256 दिनांक 06.07.2015 द्वारा जारी आदेश अनुसार शासकीय आवास आवंटित कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **325/2015/22/पं.-2,** **दिनांक 04.09.2015**	कोई टिप्पणी नहीं।
115.	458	परि.अता.प्र.सं.93 (क्र.4229) दि. 20.02.2001	जबलपुर जिले में राजीव गांधी जलग्रहण प्रबंधन के तहत माइक्रो वाटरशेड के निर्माण में अनियमितता की शिकायत की जांच एवं कार्रवाई।	जांच प्रतिवेदन होने पर आवश्यक कार्रवाई की जावेंगी।	वाटरशेड कमेटी ढोड़ा मिनी वाटरशेड पोला मझौली द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता की शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व सिहोरा की अध्यक्षता में गठित जांच समिति से कराई गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम ढोड़ा में कराये गये वाटरशेड कार्यों में राशि के दुरूपयोग की अनियमितता नहीं पाई गई। अत: किसी को दोषी मानकर कार्रवाई किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **15703/22/वि9/ आर.जी. एम./2012,** **दिनांक 01.12.2012**	कोई टिप्पणी नहीं।
116.	460	ता.प्र.सं.09 (क्र.1554) दि. 28.02.2001	शाहनगर विकासखण्ड जिला पन्ना में 1996 से 1999 तक सम्पन्न राहत कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार में दोषियों से राशि की वसूली एवं निलंबन की कार्रवाई।	आरोप पत्रों का जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	संबंधितों के विरूद्ध जारी आरोप पत्र के जवाब पश्चात् विभागीय जांच संस्थित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **1534/22/वि-3/ गग्रा.यां.से/ 2005,** **दिनांक 02.04.2005** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 13013/वि.स./ आश्वा./2005, दिनांक 11.05.2010 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***विभागीय जांच की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
117.	472	अता.प्र.सं.71 (क्र. 7712) दि. 30.03.2001	ग्राम पंचायत बंजरिया, जिला विदिशा के सरपंच के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्रवाई।	जांच की कार्रवाई प्रचलित है जांच के निष्कर्ष के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई संभव है।	श्री केशवदास लोधी सरपंच द्वारा सरपंच पद के आचरण के विपरित कार्य करते हुए हाथ सिल्क में नियम विपरित अधिक राशि स्वयं के पास रखकर दुरूपयोग किया गया । फर्जी प्रमाणिकों द्वारा वास्तविक व्यय से अधिक दर्ज कर पंचायत निधि हड़पने का प्रयास किया गया। अपात्र व्यक्तियों को फर्जी नीले राशन कार्ड वितरित किये गये। आवास पट्टे तथा शासकीय भूमि अनियमित तरीके से हितग्राहियों को दी गई, जो गबन की श्रेणी में स्वयं सिद्ध है। उपरोक्त आरोपों की पुष्टि हो जाने से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ग्यारसपुर ने म.प्र. पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा-40 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री केशवदास लोधी सरपंच ग्राम पंचायत बंजरिया को आने आदेश दिनांक 11.01.2002 द्वारा पदच्युत कर दिया है तथा उनके पास ग्राम पंचायत की राशि रूपये 74711/- (रूपये चौहत्तर हजार सात सौ ग्यारह केवल) पंचायत कोष में जमा करने हेतु तथा ग्राम पंचायत का समस्त प्रभार उपसरपंच श्री प्रतापसिंह लोधी को सौंपने हेतु निर्देशित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-15/242/2001/22/ पं.-2,** **दिनांक 25.02.2002** समिति द्वारा सतत् परीक्षण किए जाने के उपरांत अंत में इस सचिवालय के पत्र क्र. 11874/वि.स./ आश्वा./2005, दिनांक 22.04.2005 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई:- ***सरपंच से राशि की वसूली एवं ग्राम पंचायत का प्रभार उपसरपंच को सौंपे जाने की अद्यतन स्थिति।*** **लगातार पत्राचार के बावजूद अद्यतन जानकारी अप्राप्त है।**	परिशिष्ट - 1 के अनुसार

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
118.	475	अता.प्र.सं.40 (क्र.1078) दि. 18.01.2001	लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ खाद्य निरीक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण करने संबंधी नीति का निर्धारण।	सामान्य स्थानांतरण के समय प्रस्ताव गठित बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।	भोपाल तथा प्रदेश के अन्यत्र जिलों में लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थ खाद्य निरीक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण के प्रस्ताव पर दिनांक 12.07.2001 को संपन्न स्थानांतरण बोर्ड की बैठक में विचार किया गया। बोर्ड द्वारा कोई अनुशंसा नहीं की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ 10-3/2001/29/2,** **दिनांक 25.10.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।

जनवरी-अप्रैल 2001 सत्र
ऊर्जा विभाग

स.क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक, दिनांक	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119.	486	परि.अता.प्र.सं.52 (क्र.6425) दि. 20.03.2001	श्री एच.एस. यादव सहायक यंत्री, बरेली जिला रायसेन द्वारा की गई अनियमितताओं की जॉच एवं कार्रवाई।	जी हॉ, जॉचोपरांत निष्कर्ष के आधार पर यथाशीघ्र।	प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारी श्री एच.एस. यादव, सहायक यंत्री,बरेली द्वारा बरती गई अनियमिताओं की जॉच उपरांत अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त भोपाल के आदेश क्र. 1943-44 दिनांक 16.6.2001 से उनकी आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयी प्रभाव से रोक कर उन्हें दण्डित किया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **4683/एफ-11-668/ 2001/तेरह,** **दिनांक 13.06.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।
120.	487	परि.अता.प्र.सं.68 (क्र.6725) दि. 20.03.2001	श्रीराम ट्रांसपोर्ट को विद्युत मंडल द्वारा ग्राम पलासी में दिए गए प्राक्कलन में हेराफेरी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई।	उत्तरदायित्व का निर्धारण होने पर ज्ञात हो सकेगा एवं उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की गई है :- 1. श्री अमित खरे, सहायक यंत्री को कार्यपालक निदेशक, भोपाल क्षेत्र के पत्र क्र. 466-67 दि. 27.4.02 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था, तत्पश्चात् आदेश क्र. 746 दि. 6.8.85 द्वारा उन्हें चेतावनी पत्र जारी किया गया है। 2. श्री ए.के. द्विवेदी तत्कालीन वरिष्ठ यंत्री ईटखेडी को कार्यपालक निदेशक भोपाल क्षेत्र के आदेश क्र. 746 दि. 6.8.85 द्वारा चेतावनी पत्र जारी किया गया। 3. श्री एल.एल. साक्कले क्रा.स.क्षे.एक (टीबीपीएए) को अधीक्षक यंत्री (संसं) भोपाल के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था । तत्पश्चात आदेश क्र. 1057-58 दि. 10.5.2002 द्वारा उनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी। इस दण्डात्मक कार्रवाई के विरूद्ध श्री साकल्ले द्वारा प्रस्तुत की गई अपील एवं संपूर्ण प्रकरण पर विचारोपरांत मुख्य अभियंता भोपाल क्षेत्र के आदेश क्र. 1017 दि. 27.03.03 द्वारा श्री साकल्ले पर लगाए गए आरोपो से उन्हे दोषमुक्त करते हुए दिए गए दण्ड को रद्द कर दिया गया। श्री एल.एल. साकल्ले कार्यालय सहायक श्रेणी 1 (टीबीपीएस) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दि. 30.04.05 को मंडल की सेवा से निवृत्त हो गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **6226/एफ-11-668/ 2001/तेरह,** **दिनांक 15.09.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
121.	490	परि.अता.प्र.सं.45 (क्र.7295) दि. 27.03.2001	भिण्ड जिले की लहार तहसील के रावतपुरा सरकार मंदिर परिसर में विद्युत कनेक्शन में कथित रूप से शासकीय धन के दुरूपयोग की जॉच एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	स्वीकृति बिना कार्य कर मंडल के धन के अनाधिकृत व्यय बावत स्थिति जॉचोपरांत स्पष्ट होने पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन अधिकारी दोषी है एवं तद्परांत नियमानुसार उचित कार्रवाई निर्धारित की जा सकेगी।	पूर्व में कनेक्शन क्रमांक 24430, एल-18 स्वीकृत किये बिना जारी कर दिये जाने के लिए तत्समय असवार वितरण केन्द्र पर पदस्थ तत्कालीन कनिष्ठ यंत्री श्री टी.डी.सिंह उत्तरदायी पाये गये थे जिनका कि हृदयघात के कारण दिनांक 09.03.2000 को निधन हो गया था, जिसके कारण उक्त प्रकरण समाप्त घोषित कर दिया गया। वर्ष 95-96 में प्राक्कलन क्रमांक 78-32-8483-95-1112 दिनांक 25.01.96 जो कि 25 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था, उक्त प्राक्कलन के विरूद्ध 63 के.व्ही.ए. का ट्रांसफार्मर दिनांक 22.03.96 को स्थापित किया गया था जो कि गारंटी अवधि में दिनांक 22.10.96 को असफल हो गया था। उक्त फेल ट्रांसफार्मर के स्थान पर दिनांक 28.10.96 को नवीन ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/668/01/13,** **दिनांक 18.07.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
122.	492	अता.प्र.सं.06 (क्र.5693) दि. 27.03.2001	विद्युत सहकारी समिति नौगांव के कर्मचारियों को विद्युत मंडल की विभागीय परीक्षा में सम्मलित किया जाने की कार्रवाई।	दो कर्मचारियों की मंडल में नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज प्राप्त कर जॉच की कार्रवाई की जावेगी।	ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति मर्यादित, नौगांव में कार्यरत कर्मचारियों श्री अशोक कुमार रैकवार एवं श्री जोधाराम विश्वकर्मा को मंडल में विभागीय कर्मचारियों के लिये आयोजित परीक्षा के माध्यम से कार्य.सहा. श्रेणी-तीन (प्रशिक्षु) पद पर नियुक्ति के संबंध में लेख है कि श्री अशोक कुमार रैकवार द्वारा वर्ष 1983 में बाह्य उम्मीदवार के रूप में कार्या.सहा. श्रेणी-तीन के पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तथा तद्नुसार मंडल में उनहें बाह्य आवेदक के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता प्रदान की गई थी एवं श्री जोधाराम विश्वकर्मा ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति में नियुक्ति के पूर्व मुंडल में दैनिक वेतन भोगी पद पर लगभग दो वर्ष तक कार्यरत रहे हैं, अत: वर्ष 1987 से उन्हें पूर्व में मंडल में की गई सेवा के आधार पर विभागीय कर्मचारियों के लिये आयोजित लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई थी। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **2459/एफ-11-668/ 2001/तेरह,** **दिनांक 04.04.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।
123.	493	ता.प्र.सं.13 (क्र.2478) दि. 10.04.2001	बाणसागर की पावर कैनाल में लीकेज के लिये उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरूद्ध	संभागीय आयुक्त से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर जो अधिकारी दोषी पाये जावेंगे, उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जावेगी।	शासन द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुरूप प्रकरण की जॉच संभागीय आयुक्त (रीवा) द्वारा की गई है । जॉच निष्कर्ष के अनुसार पावर चैनल के निर्माण, संधारण या संचालन में कोई लापरवाही या गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्य नहीं पाया जाता है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **9594/एफ-11/668/ 2001/तेरह,** **दिनांक 12.12.2002**	कोई टिप्पणी नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
124.	494	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.1202) दि. 10.04.2001	संभागीय यंत्री, म.प्र. विद्युत मंडल पिपरिया में ट्रांसफार्मरों के संबंध में मान. श्री जयसवाल द्वारा चाही गई जानकारी प्रदाय न करने के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण व कार्रवाई।	जांचोपरांत जानकारी प्रदाय न करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा।	श्री एन.एस. यादव, कार्यपालन अभियंता सेवा से दिनांक 31.12.2000 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं एवं पेंशन नियम 1976 के नियम नौ के अनुसार सेवा निवृत्ति के 4 वर्ष से अधिक पूर्व की किसी घटना के संबंध में कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अत: अब उक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में श्री यादव के प्रकरण में अब कोई कार्रवाई किया जाना वर्तमान में संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **एफ-11/668/01/13,** **दिनांक 26.02.2008**	कोई टिप्पणी नहीं।
125.	496	परि.अता.प्र.सं.65 (क्र.2536) दि. 10.4.2001	नगर संभाग दक्षिण तथा उत्तर संचालन एवं संधारण संभाग ग्वालियर में पावर कनेक्शन मीटर रीडिंग डायरियां गुम होने तथा पार्ट पेमेंट राशि जमा कराने तथा कतिपय देवको में राशि कम किए जाने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई।	आंशिक भुगतान होने के लिये संबंधित अधिकारी के विरूद्ध जवाबदेही निर्धारित करने के प्रकरण का परीक्षण कर उचित कार्रवाई की जावेगी।	प्रकरण में दोषी तीन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की गई है :- 1. श्री पी.के.हजेला, सहायक यंत्री को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से मुख्य अभियंता, ग्वालियर क्षेत्र के आदेश क्र. 2913-19 दि. 25.11.02 द्वारा रोकी गई। 2. श्री ए.के.साहू, कनिष्ठ यंत्री का एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अधीक्षण यंत्री, शहर वृत्त ग्वालियर के आदेश क्र. 1313-14 दि. 20.12.01 द्वारा रोकी गई। 3. श्री राम प्रसाद पुत्र श्री परम सिंह, लाइन परिचारक श्रेणी – दो को कार्यपालन यंत्री (नगर संभाग) उत्तर ग्वालियर के आदेश क्र. 155-56 दि. 19.6.04 द्वारा सेवापुस्तिका चेतावनी दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक –** **874/एफ-11-668/ 2001/ तेरह,** **दिनांक 08.02.2005**	कोई टिप्पणी नहीं।

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 01 दिसम्बर, 2015

(राजेन्द्र पाण्डेय)
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र के आश्वासनों पर आधारित इस प्रतिवेदन में 22 विभागों के 126 आश्वासन शामिल हैं, अधिकांश आश्वासनों की पूर्ति विभागों ने की भी है लेकिन मामलों में दिये गये आश्वासनों पर 14 साल गुजर जाने के बाद भी 9 विभागों के परिशिष्ट-2 में दर्शित 27 मामले ऐसे हैं जिन पर विभागों की पूर्ण (अद्यतन) जानकारी नहीं आ पाई है। आश्चर्यजनक रूप से ये सभी वे मामले हैं जिनमें दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों पर विभागों को कार्यवाही करना है। प्रकरणों पर विभागीय उदासीनता को देखने से स्पष्ट है कि मामलों पर समय निकालकर दोषियों को बचाने की कार्यवाही हो रही है अन्यथा कोई कारण नहीं था कि दोषी पाये गये अधिकारियों पर विभागीय जॉच या अनुशासनात्मक कार्यवाही 14 साल का अंतराल निकल जाने के बाद भी नहीं हो पाती।

माननीय मंत्रीगण द्वारा दिये गये आश्वासनों पर इस प्रकार वर्षो तक मामलों को दबाना समिति के मत में गुनाह है और इस प्रवृत्ति को प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यधिक गंभीरता से लिये जाने की आवश्यकता है।

प्रशासनिक व्यवस्था की यह गंभीर चूक है कि ऐसे लंबित मामलों की समीक्षा की कोई स्थाई व्यवस्था विभागों में नहीं है। मामले लंबित बने रहते हैं और दोषी दण्डित नहीं हो पाते और इसी वजह से अनियमितता करने वालों में एक ऐसा संदेश जाता है कि समय निकालकर व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है और इसी दुरावस्था के कारण विभागीय अधिकारी/कर्मचारी ऐसे तत्वों को बचाने का दुस्साहस भी कर लेते हैं।

समिति की यह स्पष्ट अनुशंसा है कि प्रत्येक मामलों को मुख्य सचिव स्तर पर और सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर देखा जाय और इन मामलों में दोषी 6 माह के भीतर दण्डित हों, इसे शासन और संबंधित विभाग सुनिश्चित करें।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि इन मामलों में समय पर कार्यवाही न किये जाने के दोषी भी चिन्हित कर अवश्य दण्डित हों और यह कार्यवाही भी 06 (छः) माह में ही हो।

समिति यह भी चाहेगी कि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो इस हेतु एक व्यवस्था ऐसी बने जिसमें हर वर्ष जॉच/विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही/वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की समीक्षा सभी विभागाध्यक्ष करें और ऐसे मामलों के दोषी दण्डित हों।

:: परिशिष्ट-2 ::

विभागीय जांच के अनिर्णीत प्रकरण

नगरीय प्रशासन एवं विकास

आश्वासन क्रमांक	08
आश्वासन क्रमांक	10
आश्वासन क्रमांक	13
आश्वासन क्रमांक	23
आश्वासन क्रमांक	25
आश्वासन क्रमांक	30
आश्वासन क्रमांक	45
आश्वासन क्रमांक	48

राजस्व

आश्वासन क्रमांक	64
आश्वासन क्रमांक	76
आश्वासन क्रमांक	100

सहकारिता

आश्वासन क्रमांक	405
आश्वासन क्रमांक	407-408
आश्वासन क्रमांक	413
आश्वासन क्रमांक	419
आश्वासन क्रमांक	423

पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग

आश्वासन क्रमांक	460
आश्वासन क्रमांक	472

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

आश्वासन क्रमांक	172

स्कूल शिक्षा

आश्वासन क्रमांक	234

पशुपालन

आश्वासन क्रमांक	254

महिला एवं बाल कल्याण

आश्वासन क्रमांक	295

लोक निर्माण विभाग (P.W.D.)

आश्वासन क्रमांक	381
आश्वासन क्रमांक	393
आश्वासन क्रमांक	394
आश्वासन क्रमांक	395
आश्वासन क्रमांक	400

:: परिशिष्ट - 3 ::

जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र के आश्वासनों पर पूर्व में प्रस्तुत प्रतिवेदनों में सम्मिलित आश्वासनों की सूची

क्रमांक	आश्वा.क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण की स्थिति	विधान सभा अवधि
1.	02	नगरीय प्रशासन एवं विकास	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
2.	03	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
3.	05	"	नवम् प्रतिवेदन	विधानसभा
4.	06	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
5.	09	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
6.	11	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
7.	12	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
8.	14	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
9.	15	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
10.	16	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
11.	17	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
12.	19	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
13.	20	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
14.	21	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
15.	22	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
16.	24	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
17.	26	"	तृतीय प्रतिवेदन	अष्टम विधानसभा
18.	27	"	तृतीय प्रतिवेदन	अष्टम विधानसभा
19.	28	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
20.	29	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
21.	31	"	बीसवा प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
22.	32	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
23.	33	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
24.	34	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
25.	35	"	अष्टम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
26.	36	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
27.	37	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
28.	38	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
29.	39	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
30.	40	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
31.	42	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
32.	43	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
33.	44	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन (निराकृत)	द्वादश विधानसभा
34.	46	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
35.	47	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
36.	49	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
37.	50	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन (निराकृत)	द्वादश विधानसभा
38.	51	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
39.	52	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
40.	53	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
41.	54	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
42.	479	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
43.	56	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
44.	57	नगरीय प्रशासन एवं विकास	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
45.	57 (अ)	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

46.	289	नगरीय प्रशासन एवं विकास	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
47.	58	राजस्व	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
48.	60	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
49.	62	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
50.	63	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
51.	65	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
52.	66	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
53.	67	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
54.	68	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
55.	70	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
56.	73	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
57.	74	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
58.	77	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
59.	78	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
60.	79	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
61.	83	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
62.	84	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
63.	85	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
64.	86	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
65.	87	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
66.	88	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
67.	90	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन (निराकृत)	द्वादश विधानसभा
68.	91	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
69.	92	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
70.	96	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
71.	97	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
72.	98	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
73.	99	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
74.	101	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
75.	103	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
76.	104	गृह (पुलिस)	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
77.	105	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
78.	106	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
79.	107	"	अष्टम प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
80.	108	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन (निराकृत)	द्वादश विधानसभा
81.	109	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
82.	110	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
83.	111	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
84.	113	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
85.	116	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
86.	118	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
87.	119	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
88.	120	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
89.	121	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
90.	122	गृह (पुलिस)	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
91.	124	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
92.	125	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
93.	126	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
94.	127	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
95.	128	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

96.	129	गृह (पुलिस)	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
97.	130	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
98.	131	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
99.	132	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
100.	134	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
101.	136	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
102.	137	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
103.	138	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
104.	139	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
105.	140	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
106.	141	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
107.	142	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
108.	143	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
109.	144	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
110.	145	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
111.	146	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
112.	147	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
113.	148	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
114.	149	जल संसाधन	चौबीसवां प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
115.	150	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
116.	151	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
117.	152	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
118.	153	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
119.	154	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
120.	155	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
121.	156	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
122.	158	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
123.	159	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
124.	160	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
125.	161	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
126.	163	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
127.	164	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
128.	165	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
129.	166	लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
130.	167	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
131.	169	"	पच्चसीवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
132.	170	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
133.	171	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
134.	173	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
135.	174	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
136.	175	लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
137.	176	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
138.	177	चिकित्सा शिक्षा	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
139.	178	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
140.	179	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
141.	180	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
142.	181	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
143.	182	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
144.	183	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
145.	185	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

146.	186	चिकित्सा शिक्षा	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
147.	188	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
148.	280	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
149.	189	स्कूल शिक्षा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
150.	192	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
151.	195	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
152.	196	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
153.	197	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
154.	198	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
155.	199	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
156.	200	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
157.	202	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
158.	203	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
159.	204	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
160.	208	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
161.	209	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
162.	210	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
163.	211	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
164.	212	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
165.	213	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
166.	214	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
167.	215	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
168.	216	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
169.	217	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
170.	218	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
171.	219	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
172.	220	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
173.	221	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
174.	222	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
175.	223	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
176.	224	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
177.	225	"	दशम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
178.	226	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
179.	228	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
180.	229	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
181.	230	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
182.	231	स्कूल शिक्षा	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
183.	232	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
184.	233	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
185.	235	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
186.	236	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
187.	237	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
188.	238	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
189.	239	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
190.	240	संस्कृति	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
191.	241	पर्यटन	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
192.	242	मछली पालन	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
193.	243	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
194.	244	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

195.	245	मछली पालन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
196.	246	वाणिज्य एवं उद्योग	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
197.	247	खेल एवं युवक कल्याण	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
198.	249	विधि और विधायी कार्य	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
199.	250	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
200.	251	वाणिज्यिक कर	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
201.	252	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
202.	253	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
203.	255	पशुपालन	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
204.	256	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
205.	257	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
206.	258	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
207.	260	खनिज साधन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
208.	261	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
209.	263	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
210.	264	श्रम	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
211.	265	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
212.	266	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
213.	267	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
214.	268	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
215.	269	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
216.	270	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
217.	271	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
218.	272	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
219.	273	ग्रामोद्योग	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
220.	274	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
221.	275	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
222.	276	नर्मदा घाटी	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
223.	277	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
224.	278	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
225.	279	नर्मदा घाटी	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
226.	280	वित्त	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
227.	281	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
228.	282	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
229.	283	आवास और पर्यावरण	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
230.	284	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
231.	285	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
232.	286	जनशिकायत निवारण	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
233.	287	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
234.	288	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
235.	289	नगरीय प्रशासन एवं विकास	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
236.	290	समाज कल्याण	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
237.	291	महिला एवं बाल विकास	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
238.	293	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
239.	294	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
240.	298	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
241.	300	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
242.	301	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
243.	302	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

244.	303	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
245.	304	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
246.	307	"	सत्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
247.	308	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
248.	309	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
249.	310	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
250.	311	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
251.	313	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
252.	315	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन (निराकृत)	द्वादश विधानसभा
253.	316	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
254.	317	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
255.	318	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
256.	319	वन	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
257.	320	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
258.	321	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
259.	322	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
260.	323	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
261.	325	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
262.	326	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
263.	327	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
264.	328	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
265.	329	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
266.	331	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
267.	332	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
268.	333	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
269.	334	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
270.	335	वन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
271.	336	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
272.	338	आदिम जाति	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
273.	339	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
274.	340	अनुसूचित जाति कल्याण	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
275.	341	आदिम जाति कल्याण	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित	
276.	342	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
277.	343	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
278.	344	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
279.	345	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
280.	346	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
281.	347	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
282.	348	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
283.	349	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
284.	350	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
285.	351	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
286.	352	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
287.	353	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
288.	354	उच्च शिक्षा	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
289.	355	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
290.	356	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
291.	357	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
292.	360	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
293.	362	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

294.	363	उच्च शिक्षा	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
295.	364	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
296.	365	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
297.	369	लोक निर्माण	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
298.	377	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
299.	378	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
300.	382	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
301.	383	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
302.	386	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
303.	387	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
304.	390	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
305.	399	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
306.	401	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
307.	406	सहकारिता	विलोपित	
308.	409	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
309.	410	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
310.	411	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
311.	412	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
312.	414	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
313.	416	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
314.	417	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
315.	418	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
316.	420	सहकारिता	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
317.	421	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
318.	422	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
319.	424	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
320.	425	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
321.	426	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
322.	427	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
323.	428	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
324.	429	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
325.	430	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
326.	431	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
327.	432	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
328.	434	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
329.	435	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
330.	436	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
331.	437	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
332.	439	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
333.	440	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
334.	441	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
335.	442	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
336.	444	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
337.	445	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
338.	447	सामान्य प्रशासन	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
339.	448	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
340.	449	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
341.	451	"	बीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
342.	452	"	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
343.	454	"	चौबीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा

344.	456	पंचायत और ग्रामीण विकास	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
345.	457	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
346.	459	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
347.	461	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
348.	462	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
349.	463	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
350.	464	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
351.	465	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
352.	466	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
353.	467	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
354.	468	"	अष्टम् प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
355.	469	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
356.	470	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
357.	471	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
358.	473	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
359.	474	"	तृतीय प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
360.	476	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
361.	477	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
362.	478	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
363.	479	"	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
364.	480	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
365.	481	ऊर्जा	पच्चीसवां प्रतिवेदन	द्वादश विधानसभा
366.	482	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
367.	483	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
368.	484	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
369.	485	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
370.	488	"	दशम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
371.	489	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
372.	491	"	पंचम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा
373.	495	"	नवम् प्रतिवेदन	एकादश विधानसभा